प्रत्यक्ष करों के संग्रहण पर मास्टर परिपत्र

प्रस्तावना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आयकर आयुक्तों के माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष कर लगाने के लिए जिम्मेदार है। आयकर आयुक्तों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर और कॉरपोरेशन कर, आदि के संग्रहण के साथ ही वापसी का कार्य सौंपा गया है।

2. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लेखा संगठन के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। विभागीय सेट अप के अंतर्गत, प्रधान सीसीए, सीबीडीटी को प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी प्राप्तियों और रिफंड के लेखांकन से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। प्रधान सीसीए नई दिल्ली में स्थित है और आंचलिक लेखा कार्यालयों (ZAO) के माध्यम से कार्य करता है देश भर में। वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर 24 जेडएओ स्थित हैं।

3. लेखा के प्रमुख शीर्ष

आयकर विभाग द्वारा एकत्र किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत हैं:

i) कॉर्पोरेशन टैक्स (C.T.)	0020 कॉर्पोरेशन टैक्स
ii) आयकर (I.T.)	0021 कॉर्पोरेशन टैक्स के अलावा अन्य आय पर कर
iii) धन कर (W.T.)	0032 धन पर कर
iv) उपहार कर (जी.टी.)	0033 उपहार कर
v) अनुषंगी लाभ कर	0026
vi) बैंकिंग नकदी लेनदेन कर	0036

4. 1 अप्रैल 1976 से पहले, आय और अन्य प्रत्यक्ष कर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कार्यालयों, सरकारी व्यवसाय का संचालन करने वाली भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखाओं, इसके सहयोगियों, राजकोष और उप-राजकोष द्वारा स्वीकार किए जाते थे। इन करों को जनता के सदस्यों द्वारा आसानी से जमा करने के उद्देश्य से स्थानों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, 1 अप्रैल 1976 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए एक योजना को लागू किया गया था।

5. 'प्रत्यक्ष करों के लिए लेखा प्रणाली' - संशोधित प्रक्रिया
(दिनांक 9 जनवरी 2004 का आरबीआई परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-684/42.01.001/2003-04)
लेखांकन और रिपोर्टिंग, देरी विप्रेषण और दस्तावेजों आदि के प्रेषण में देरी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के बाद 'सरकारी लेखा पर कार्य दल' ने संशोधित प्रक्रिया का सुझाव दिया जो 1 अक्टूबर 1988 से प्रभाव में आई। रिज़र्व बैंक ने अपनी 'प्रत्यक्ष करों के लिए लेखा प्रणाली' जिसे पिंक बुकलेट के नाम से जाना जाने लगा, के प्रकाशन के माध्यम से सीबीडीटी देय राशि की स्वीकृति और इसका लेखांकन और रिपोर्टिंग पर व्यापक निर्देश जारी किए हैं।

6. रिज़र्व बैंक के अलावा और आरबीआई कार्यालयों में वर्कलोड कम करने के लिए चार महानगरों अर्थात, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा को प्राधिकृत करने के सीबीडीटी के निर्णय को प्रभावी करने की दृष्टि से पिंक बुक के पैरा 12-ए-II(i), जिसका शीर्षक "प्रत्यक्ष कर लेखांकन प्रणाली" है, को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

7. इस संबंध में ग्राहक सेवा में सुधार की दृष्टि से 'प्रत्यक्ष करों के लिए लेखांकन प्रणाली' के निम्नलिखित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है :
(दिनांक 2 अप्रैल 2004 का आरबीआई/2004/135 (डीजीबीए.जीएडी.सं.1142/42.01.001/2003-04))
(i) टोकन जारी करना : जबकि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भुगतान की पावती के रूप में पेपर टोकन का मुद्दा बहुत स्पष्ट है, फिर भी यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में प्राधिकृत शाखाएँ ऐसे टोकन जारी नहीं करती हैं। कई स्थानों पर अनौपचारिक व्यवस्था होती है जिसमें करदाताओं को बैंक शाखाओं से एक विशिष्ट तिथि के बाद चालान लेने के लिए कहा जाता है। कुछ में मामलों में, रसीदी चालानों को सुरक्षित रूप से नहीं रखा जाता है और खुले डिब्बे में रखा जाता है। ग्राहकों को बिना किसी पहचान के स्वतंत्र रूप से अपना चालान लेने की अनुमति होती है। चेक या ड्राफ्ट के साथ चालान जमा करने के मामले में, चेक और ड्राफ्ट की राशि की वसूली होने पर ही रसीदी चालान जारी किया

जाएगा, इसलिए पेपर टोकन पर रसीद की तारीख इंगित होनी चाहिए जब चालान की प्रतियां तैयार रखी जाएंगी ताकि निर्धारिती टोकन में दी गई तारीख पर रसीद चालान लेने की व्यवस्था कर सके।

(ii) रसीद सहित चालान : स्थानीय समाशोधन व्यवस्था के आधार पर रसीद सहित चालान को निर्धारिती को 4-5 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह निर्धारित प्रतीक्षा अवधि पार नहीं होनी चाहिए और इस संबंध में किसी भी विचलन को रिज़र्व बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। रसीद सहित चालानों को तब तक सावधानी से और सुरक्षित तरीके से संभाला जाना चाहिए जब तक प्रासंगिक कागज टोकन की प्रस्तुति पर काउंटर पर निर्धारितियों को सौंप न दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में रसीदी चालान ग्राहकों के लिए सुलभ खुले बॉक्स में नहीं रखा जाना चाहिए।

(iii) रसीद सहित चालान पर दो तारीखों सहित मुहर: यह दोहराया जाता है कि चालान पर दो तारीखें होनी चाहिए, अर्थात चालान और लिखतों की 'निविदा की तारीख' और पिंक बुकलेट के अनुबंध-V में निर्दिष्ट के अनुसार लिखतों की प्राप्तियों की 'वसूली की तिथि'।

(iv) समाशोधन चेक की स्वीकृति: यह देखा गया है कि कुछ बैंक कर प्राप्त करते समय अन्य बैंकों पर आहरित चेक स्वीकार करने में अनिच्छुक हैं जिसके परिणामस्वरूप सनदी लेखाकार/कर सलाहकार अपने ग्राहकों की ओर से स्वयं के चेक प्रस्तुत कराते हैं। दूसरे पर आहरित चेक स्वीकार करने के रूप में बैंक ग्राहकों को बड़ी सुविधा देंगे, अत: बैंकों को सलाह दी जाती है कि जो ग्राहक अन्य बैंकों पर आहरित चेक के साथ चालान प्रस्तुत करते हैं, बैंक उन्हें वापिस न करें।

(v) क्या करें और क्या न करें : प्रत्यक्ष कर संग्रहण कार्य से जुड़े बैंक कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार पिंक बुकलेट के अनुबंध-IV में क्या करें और क्या न करें की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। इस संबंध में आपको आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।
जैसा कि आप जानते हैं, एजेंसी बैंक सरकारी कार्य के संचालन के लिए रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऐसा करने के लिए रिज़र्व बैंक एजेंसी कमीशन का भुगतान करता है। इसलिए, शाखाओं को हमारे द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना है और अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करना है। प्राधिकृत शाखाओं को हमारे समय-समय पर जारी विभिन्न ज्ञापन/परिपत्रों में निहित निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि करों का भुगतान करने में करदाताओं को कोई असुविधा न हो।
यह परामर्श दिया जाता है कि निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देश का पालन करने में विफलता संबंधित शाखा के प्राधिकार को समाप्त करने या इस तरह के अन्य दंड, जिसे रिज़र्व बैंक उचित समझे, के लिए उत्तरदायी बनाएंगे।

II ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास)
(दिनांक 1 अप्रैल 2004 का आरबीआई/2004/131 (डीजीबीए.जीएडी.सं.1008/42.01.034/2003-04), दिनांक 16 अप्रैल 2004 का आरबीआई/145/2004 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-1068/42.01.034/2003-04) और दिनांक 29 अप्रैल 2004 का आरबीआई/2004/184 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-1114/42.01.034/2003-04))

8. रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2003 में ओल्टास की स्थापना के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया था। एचपीसी ने ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली के लिए लेखांकन प्रक्रिया के लिए सुझाव देने हेतु एक उप-समिति का गठन किया । ओल्टास के लिए सीजीए और सीएजी द्वारा विधिवत अनुमोदित अकाउंटिंग प्रक्रिया 01 जून 2004 से शुरू की गई थी। नई लेखा प्रक्रिया (अनुलग्नक) सभी एजेंसी बैंकों को 16 अप्रैल, 2004 को अग्रेषित की गई थी। नई लेखांकन प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं हैं - करदाताओं की काउंटरफॉइल को फाड़ने की सुविधा वाली एकल प्रति चालान की शुरूआत, एकल प्रति चालान और करदाताओं की काउंटरफॉइल पर चालान पहचान संख्या (सीआईएन) के नाम से अभिहित विशिष्ट क्रम संख्या वाली पावती टिकट लगाना। करदाता अब अपने द्वारा भुगतान किए गए कर को http://tin-nsdl.com पर लॉग ऑन करके देख सकते हैं। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा वांछित नई फ़ाइल संरचना को भी एजेंसी बैंकों को ओल्टास के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए भेजा गया था ।
II) नई प्रक्रिया के तहत बैंकों को समाशोधन चेक/ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किए गए चालानों के संबंध में (अर्थात् नकद के अलावा और चेक/ड्राफ्ट ट्रांसफर) केवल ऐसे चेक/ड्राफ्ट की वसूली के बाद पावती जारी करने की सलाह दी गई थी। बैंकों को ऐसे चालानों के संबंध में पेपर टोकन जारी करने की सलाह दी गई थी जिनमें टेंडर की तारीख और वह तारीख जब काउंटरफॉइल सुपुर्दगी के लिए रखी जाएगी, चिहनित हो । प्राप्त करने वाले बैंकर को ऐसे चेक/ड्राफ्ट की वसूली के

बाद करदाताओं के फाड़ने योग्य काउंटरफॉइल हिस्से को चालान पहचान संख्या (सीआईएन) के साथ निम्नलिखित इंगित करने वाली रबर की मोहर लगाकर वापस करने की सलाह दी गई थी :
i) बैंक शाखा का बीएसआर कोड नंबर (7 अंक)
(ii) चालान प्रस्तुत करने की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)
(iii) उस दिन उस शाखा में चालान की क्रम संख्या (5 अंक)
III) नकद या उसी प्राप्तकर्ता शाखा पर आहरित चेक वाले चालान का फाड़ा हुआ भाग आवश्यक पावती के साथ ऊपर वर्णित रबर स्टैम्प लगाकर उसी दिन करदाता को वापस किया जा सकता है।
IV) सभी गैर-कम्प्यूटरीकृत/गैर-नेटवर्क वाली शाखाओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि उन शाखाओं से संबंधित डेटा को उसके निकटतम कम्प्यूटरीकृत/नेटवर्क वाली शाखा से नोडल शाखा और नोडल शाखा से लिंक सेल को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित किया जाए ताकि पूरे भारत की बैंक की सभी प्राधिकृत शाखाओं से संबंधित पूरा डेटा एनएसडीएल द्वारा होस्ट किए गए कर सूचना नेटवर्क (टिन) में समेकित रूप प्रेषित किया जा सके।
V) यह भी सूचित किया गया था कि जहाँ तक आयकर विभाग को स्क्रॉल और चालान भेजने की बात है, ओल्टास के तहत नई लेखांकन प्रक्रिया मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर लागू होगी। यह भी सलाह दी गई कि बैंकों को अग्रेषित ओल्टास लेखांकन प्रक्रिया में प्रस्तावित परिवर्तनों के अतिरिक्त गुलाबी पुस्तिका में "प्रत्यक्ष करों के लिए लेखांकन प्रणाली" में निहित निर्देश (30 जून 1999 तक अद्यतन) लागू रहेंगे।
VI) इसके अलावा, जेडएओ और आयकर विभाग को पेपर स्क्रॉल और चालान भेजने की सामान्य प्रथा के अलावा टिन को ऑनलाइन डेटा भेजने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
VI) बैंकों को यह सुझाव दिया गया था कि सुरक्षित दो तरफा संचार सुनिश्चित करने के लिए नागपुर में उनके लिंक सेल को एक समर्पित लीज्ड लाइन के द्वारा मुंबई में टिन (NSDL) से जोड़ा जा सकता है।

9. ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) - एनएसडीएल को डेटा का प्रेषण - सत्यापन चेक
(दिनांक 28 जुलाई 2004 का आरबीआई/2004/75 (डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-69/42.01.034/2004-05)
I) 21 जुलाई 2004 को मुंबई में भारतीय बैंक संघ द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/आयकर विभाग द्वारा द्वारा बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों में देखी गई विभिन्न प्रकार की त्रुटियों पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेष रूप से, पैन/टैन नंबर के संबंध में देखा गई डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, गलत नोडल स्क्रॉल शाखा डेटा, निर्धारण वर्ष, करदाता का गलत या नाम न होना, सीआईएन नंबर, प्रमुख शीर्ष कोड और राशियों पर चर्चा की गई।
II) देखी गई कमियों से निपटने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बैंक सभी रिकॉर्ड प्रकारों के लिए निम्नलिखित सत्यापन जांचों को तत्काल प्रभाव से ओल्टास सॉफ्टवेयर में शामिल करता है-
i) NOD_BR_COL_SC_DT और NOD_BR_PYMT_SC_DT फ़ील्ड के लिए मान RT01 और RT06 में क्रमशः 01-06-04 और संचारण (यानी फ़ाइल नाम) की तारीख के बीच होना चाहिए।
ii) PAN/TAN 10 अक्षरांकीय वर्णों से कम का नहीं हो सकता। अगर यह लंबाई 10 है तो पैन के पहले पांच और पैन के दसवें अक्षर के मामले में केवल अल्फा होना चाहिए, और छठे से नौवें यानी अगले चार केवल अंक होने चाहिए। टैन के मामले में पहले तीन अक्षर सीटीयू कोड होने चाहिए और चौथा, दसवां अल्फा होना चाहिए और अगले पांच (पांचवां से नौवां) अंक होना चाहिए। यदि पैन/टैन अमान्य है, तो नाम और पता अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। (1 जनवरी 2005 से पैन/टैन को उद्धृत करना अनिवार्य कर दिया गया है)।
iii) नाम का फील्ड हमेशा अनिवार्य होता है और इसमें केवल अल्फ़ान्यूमेरिक और डॉट्स का संयोजन होना चाहिए और यह एक से अधिक वर्ण का होना चाहिए (नेम स्ट्रिंग डॉट्स और न्यूमेरिक या दोनों का नहीं होना चाहिए। मुख्य स्ट्रिंग में अक्षर होने चाहिए)। चालान पर पैन / टैन का उल्लेख किए जाने के बावजूद करदाता का पूरा नाम प्रेषित करना अनिवार्य है ।
iv) वसूलीकर्ता शाखा का जेडएओ कोड नंबर स्थायी है और रिज़र्व द्वारा प्रकाशित पिंक बुकलेट में जेडएओ के कोड नंबर का विवरण उपलब्ध है। नोडल शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिकॉर्ड प्रकार 01 में वर्णित यह जेडएओ कोड संख्या सही है और इसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया गया है। यह सलाह दी जाती है कि सभी बैंकों को उनके ओल्टास सॉफ्टवेयर में जेडएओ फील्ड में कोड सेव करना चाहिए क्योंकि ऐसे दृष्टांत आरबीआई/सरकार ध्यान में लाए गए हैं जहां एक ही शाखा संचारण की विभिन्न तिथियों पर अलग जेडएओ कोड का उल्लेख कर रही है।
III) उपरोक्त सत्यापन जांच के अलावा, बैंकों द्वारा निम्नलिखित पर्यवेक्षी कदम उठाए जाने चाहिए :
(i) संग्रह करने वाली शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को चालान से प्राप्त नाम व राशि की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए सभी बैंक शाखाओं में 'मेकर-चेकर' डाटा एंट्री की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

(ii) सभी संग्रह करने वाली शाखाओं द्वारा अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड टाइप 01 और रिकॉर्ड टाइप 02 (सारांश अभिलेख), प्रेषित किया जाना है, यदि संग्रहण उस दिन हो। ऐसी शाखाएँ जहाँ दिन के दौरान कोई संग्रह नहीं हुआ है, उन्हें नोडल शाखा को केवल रिकॉर्ड टाइप 02 (शून्य विवरण) प्रेषित करना है। यह TIN को OLTAS के कार्यान्वयन की सटीक निगरानी करने में सक्षम करेगा।
(iii) नोडल शाखा स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाना है कि सभी संग्रह करने वाली शाखाएँ रिकॉर्ड टाइप 01 और रिकॉर्ड टाइप 02 प्रेषित कर रही हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संग्रह करने वाली शाखाएँ जिनके पास हैं कोई संग्रह नहीं होता है केवल रिकॉर्ड टाइप 02 (शून्य विवरण) MAJ_HD_CD=0 और TOT_AMT=0 के साथ उनकी संबंधित नोडल शाखा को प्रेषित करती हैं।
(iv) नोडल शाखा के शाखा प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ZAO को किसी विशेष तिथि को प्रस्तुत नोडल शाखा स्क्रॉल में दिखाया गया मुख्य शीर्ष वार संग्रह, टिन को जमा करने के लिए लिंक सेल को प्रेषित OLTAS डेटा में संबंधित योगों के साथ मेल खाता है। **यह कार्य 1 जून, 2004 से सभी भुगतानों के संबंध में किया जाना चाहिए और यदि कोई डेटा TIN को अभी तक प्रेषित नहीं किया गया है, तो इसे अब ट्रांसमिट किया जाना चाहिए।**
(v) सभी बैंकों को लिंक सेल स्तर पर टिन को प्रेषित त्रुटि रिकॉर्ड पर के गई कार्रवाई का एक त्रुटि रिकॉर्ड रखना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी रिकॉर्ड जिन्हें कुछ कमियों के कारण TIN द्वारा शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था उन्हें 48 घंटे के भीतर कमियों को दूर करने के बाद अनिवार्य रूप से टिन को पुनः प्रेषित किया जाता है ।
(vi) यह देखा गया है कि बैंक गलत प्रमुख शीर्ष कोड दर्ज कर रहे हैं अर्थात कार्पोरेशन कर के लिए प्रमुख शीर्ष 020 के तहत प्राप्त भुगतान की इंटरचेंजिंग अथवा कार्पोरेशन कर के अतिरिक्त आयकर के लिए प्रमुख शीर्ष 021। यह भुगतानों के परिहार्य गलत वर्गीकरण की ओर ले जाता है और आयकर विभाग और ZAO के बीचखातों के मिलान के प्रभावित करता है। वैध पैन के मामले में, OLTAS सॉफ्टवेयर में उपरोक्त सत्यापन को लागू किया जा सकता है अर्थात अगर चौथा अक्षर (बाएं से) 'C' है तो मेजर हेड कोड अनिवार्य रूप से 020 होना चाहिए।
IV) यह दोहराया जाता है कि डेटा की सटीकता सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि यह वित्त मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर राजस्व संग्रह की निगरानी का आधार बनता है। इसके अलावा, गलत डेटा करदाता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और बाद में विवाद/मुकदमेबाजी का कारण बन सकता है।

10. सीबीडीटी देय राशि के संग्रह के लिए उप-एजेंसी व्यवस्था को समाप्त करना – ओल्टास

(दिनांक 31 दिसंबर 2004 का आरबीआई/2004/326(डीजीबीए.जीएडी.सं.3278-3311/42.01.034/2004-05)
I) यह देखा गया है कि OLTAS में डेटा अपलोड न करने के प्रमुख कारणों में से एक उस इलाके में अन्य प्रमुख उप-एजेंसी व्यवस्थाओं का अस्तित्व है जहां संबंधित उप-एजेंसी बैंक की सीबीडीटी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अपनी स्वयं की नोडल शाखा रखने के लिए पर्याप्त संख्या में शाखाएँ नहीं हैं। कई मामलों में गैर असंगतता या अन्य कारणों से, डेटा प्रधान एजेंसी बैंकों द्वारा उप एजेन्सी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संग्रहण शाखाओं में प्राप्त चालानों के संबंध में टिन में अपलोड नहीं किया गया था ।
II) उप-एजेंसी से होने वाली देरी और समस्याओं से बचने की दृष्टि से व्यवस्था, यह आयकर निदेशालय (सिस्टम), नई दिल्ली के परामर्श से यह तय किया गया है उप-एजेंसी व्यवस्था को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि जहाँ भी आपकी शाखाएँ उप-एजेंसी व्यवस्था के तहत कार्य कर रही हैं, वहाँ अपनी स्वयं की नोडल शाखाओं को नामोद्दिष्ट करने का प्रस्ताव सीबीडीटी को प्रस्तुत किया जाए।

11. ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) – निधि निपटान –आरबीआई, सीएएस नागपुर को रिपोर्ट करना

(दिनांक 1 मार्च 2005 का आरबीआई/2005/382 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-4736/42.01.034/2004-05), दिनांक 13 मई 2005 का आरबीआई/2005/466 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.5801/42.01.034/2004-05) और दिनांक 29 मार्च 2005 का आरबीआई/2005/406 (डीजीबीए.जीएडी.एच 5236/42.01.034/2004-2005)
I) वर्तमान में, एजेंसी के लेनदेन हार्ड कॉपी के साथ ईमेल/ फ्लॉपी के माध्यम से ASCII में CAS को रिपोर्ट किए जाते हैं। चूंकि सीबीडीटी लेनदेन एजेंसी लेनदेन का एक हिस्सा हैं, हम सलाह देते हैं कि सिस्टम, प्रारूप और सीएएस को रिपोर्ट करने के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए, नागपुर में एजेंसी बैंक के लिंक सेल को ओल्टास फ़ाइल से सीबीडीटी आंकड़े निकालने और इन्हें CAS को रिपोर्ट करने के लिए ASCII में परिवर्तित करने की सलाह दी जाए। **यह लिंक सेल की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी तारीख को प्रमुख शीर्ष-सीबीडीटी-निधि निपटान के लिए CAS को रिपोर्ट किए गए आंकड़े और OLTAS के तहत रिपोर्ट किए गए सभी समान हैं। बैंकों को रिपोर्टिंग में 100% सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए। TIN द्वारा डेटा की अस्वीकृति OLTAS और फंड सेटलमेंट के लिए CAS को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में बेमेलपन का कारण बनेगी।**
II) 1 अप्रैल, 2005 से टिन पर अपलोड किए गए ऑन-लाइन डेटा के आधार पर निधियों के निपटान पर स्विच करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आरबीआई, सीएएस, नागपुर को सीबीडीटी लेनदेन की मौजूदा रिपोर्टिंग की प्रणाली की

समीक्षा की गई है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी बैंक सीबीडीटी आंकड़े आरबीआई, सीएएस, नागपुर को अलग से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-मेल (द्वितीय श्रेणी प्रमाणपत्र धारक द्वारा हस्ताक्षरित) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। सप्ताह के दिनों में 13.15 बजे और शनिवार को दोपहर 12.30 बजे TIN को रिपोर्ट किए गए सीबीडीटी के आंकड़े डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-मेल के माध्यम से निधियों के निपटान के लिए सीएएस, नागपुर को साथ-साथ सूचित किया जाए। कट-ऑफ टाइम के बाद भेजे गए डेटा को सीएएस, नागपुर द्वारा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

III) अन्य सरकारी लेन-देन की रिपोर्टिंग की प्रणाली (गैर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड लेनदेन) फिलहाल अपरिवर्तित रहेगी।

IV) बैंक कृपया यह भी ध्यान दें कि आरबीआई, सीएएस में सिस्टम द्वारा कोई अस्वीकृति उसी दिन के हिसाब में नहीं ली जाएगी जैसा कि वर्तमान में लिंक सेल से संशोधित सही की गई सूचना प्राप्त कर किया जा रहा है। केवल CAS में सिस्टम द्वारा स्वीकार किए गए आंकड़े हिसाब में लिए जाएँगे। अस्वीकृति रिपोर्ट दैनिक इनपुट विवरण के साथ उसी दिन लिंक सेल को भेज दी जाएगी। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपनी शाखाओं और लिंक सेल को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें।

V) **यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी दी गई तारीख पर निधि निपटान के लिए सीएएस, नागपुर में अपलोड की गई वित्तीय डेटा फ़ाइल और उस विशेष निपटान तिथि की TIN पर अपलोड की गई उससे संबंधित चालान डेटा पूर्णत: मेल खाना चाहिए।** एनएसडीएल द्वारा बाद में सत्यापन त्रुटियों आदि के कारण खारिज की गई फ़ाइलें, यदि कोई हो, अलग से संसाधित और पुनः अपलोड की जाएँ। बैंक यह सुनिश्चित करें कि निर्धारिती द्वारा जमा किए गए प्रत्येक चालान के संबंध में चालान डेटा अपलोड किया जाता है और TIN द्वारा विधिवत स्वीकार किया जाता है। TIN में फिर से अपलोड की गई इस प्रकार की फाइलों से निधि निपटान डेटा प्रभावित नहीं होगा। TIN में पूर्ण रिपोर्टिंग की आवश्यकता टीबी पूर्ण होगी जब डेटा लिंक सेल से सीएएस, नागपुर और TIN में जाने वाले संबंधित चालान डेटा को एक साथ अपलोड किया जाता है।

VI) लिंक सेलों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि दी गई अपलोडिंग तिथि के लिए CAS और TIN पर अपलोड किए गए आंकड़ों में कोई बेमेलपैन न हो।

VII) नोडल शाखाओं को 'ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (OLTAS) से संबंधित लेखा प्रक्रिया' के पैरा 6 में निहित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए और उन्हें संबंधित क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को प्रतिदिन के आधार पर स्क्रॉल और चालान आदि भेजने की सलाह दी जाए।

12. ओल्टास के संबंध में बैंकों के मार्गदर्शन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ स्पष्टीकरण नीचे पुन: प्रस्तुत हैं :

(दिनांक 22 मई 2004 का आरबीआई/213/2004 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-1169/42.01.034/2003-04) और 15 सितंबर 2004 का आरबीआई/2004/181 (डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-235/42.01.034/2004-05))

I) **चालान पहचान संख्या (सीआईएन)**

यह स्पष्ट किया जाता है कि ओल्टास लेखांकन प्रक्रिया के पैरा 1.3.3 के अनुसार (अनुलग्नक) सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों में किसी विशेष दिन पर नकद, अंतरण चेक के अतिरिक्त **समाशोधन चेक के साथ** प्रस्तुत सभी चालानों के लिए रनिंग सीरियल नंबर देना होगा। जबकि चालान का फाड़ने योग्य हिस्सा नकद और हस्तांतरण चेकों (अर्थात संग्रहण शाखा पर आहरित चेक) के साथ प्रस्तुत किया गया को, निर्धारित रबर स्टाम्प जिस पर निविदा की तारीख, बीएसआर कोड और सीआईएन आदि का इंगित हो लगाकर, निविदाकर्ता को लौटाना होगा, चालान के साथ प्रस्तुत किए गए **समाशोधन चेक** (अर्थात अन्य शाखाओं/बैंकों पर आहरित) को केवल लिखतों की प्राप्ति पर वापस करना होगा। प्राप्तकर्ता बैंक शाखा के प्राधिकृत अधिकारी को भी चालान के फाड़ने योग्य हिस्से और मूल चालान पर हस्ताक्षर करने होंगे।

II) बैंकों से अनुरोध है कि वे ओल्टास पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के लिए आयकर वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) देखें। ।

III) यह भी सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक और एनएसडीएल ने हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं और शाखाएँ किसी भी सहायता के लिए सीधे esetgad@mtnl.net.in और tininfo@nsdl.co.in पर मेल कर सकते हैं, (9892788899 / 9869275997 (SBI) और 022-24994650 (NSDL) पर संपर्क कर सकते हैं।

13. इसके अतिरिक्त, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्राधिकृत शाखाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि जिन शाखाओं में कर संग्रह किया गया है, उन सभी के द्वारा प्रत्येक चालान रिकॉर्ड TIN को प्रेषित किया जाए। यह दोहराया जाता है कि जिस दिन कर संग्रह नहीं होता है, उस दिन नोडल शाखा को शून्य कथन (रिकॉर्ड प्रकार 02) प्रेषित किया जाए ताकि TIN OLTAS की ठीक से निगरानी करने में सक्षम हो।

इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि TIN को प्रेषित डेटा सही और पूर्ण हो एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप हो।

14. आयकर निदेशालय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटिस में लाई गई निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों के बारे में बैंकों को सूचित किया जाता है :
(दिनांक 4 सितंबर 2004 का आरबीआई/2004/165 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-170/42.01.034/2003-04)
(क) बैंकों द्वारा PAN/TAN कैप्चर न करना - कई केंद्रों से यह सूचना मिली है कि जहां करदाता ने अपने पैन को सही ढंग से पूर्ण रूप से उद्धृत किया है, वहाँ भी कुछ बैंक शाखाएं या तो इसकी प्रविष्टि नहीं कर रही हैं या इसे अपूर्ण रूप से प्रविष्ट कर रही हैं। इस संबंध में बैंक कृपया नोट करें कि ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) प्रक्रिया/नियमों के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि जहां भी करदाता द्वारा 10 अंकों का PAN/TAN उचित अल्फा न्यूमेरिक संरचना में उद्धृत किया गया है, बैंकों को केवल करदाता का नाम और पैन कैप्चर करना होगा, पता नहीं।

(ख) करदाता का पूरा नाम न लेना - टीआईएन पर अपलोड किए गए डेटा के अवलोकन से यह पता चलता है कि कई बैंक शाखाएं करदाता के नाम वाले कॉलम में अभी भी केवल एक या दो अक्षर डाल रही हैं। कुछ मामलों में प्रतीकों और बिंदुओं का भी इस्तेमाल किया गया है। बैंक कृपया ओल्टास डेटा में करदाता का पूरा नाम दर्ज करना सुनिश्चित करें।

(ग) गलत पता फ़ील्ड - विश्लेषण किए गए डेटा से यह भी पता चलता है कि कई बैंक शाखाओं द्वारा पता फ़ील्ड को ठीक से कैप्चर नहीं किया जा रहा है। अनेक मामलों में, बस कुछ यादृच्छिक अक्षर या संख्याएँ दर्ज की जा रही हैं जिससे यह इंगित होता है कि बैंक शाखाएं पूर्ण डेटा कैप्चर करने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरत रही हैं । बैंक आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें

(**घ) चालान पहचान संख्या (सीआईएन) की गलत रिपोर्टिंग** - यह पाया गया है कि कुछ बैंक शाखाएं करदाता की काउंटरफॉयल पर एक विशेष चालान पहचान संख्या (सीआईएन) आबंटित कर रही हैं लेकिन भेजे गए ओल्टास डेटा पर भिन्न सीआईएनएक दर्ज कर रही हैं। ओल्टास प्रक्रिया/नियमों के अनुसार, सीआईएन केवल प्रस्तुति के दिन ही आबंटित किया जाना है। करदाता की काउंटरफॉयल और चालान की मुख्य प्रति पर सीआईएन नंबर अंकित करने के साथ-साथ इसे टिन को प्रेषित किया जाना चाहिए।

(ङ) असमान स्क्रॉल डेटा - ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रक्रिया के नियमानुसार, किसी विशेष दिन के लिए नोडल शाखा का स्क्रॉल ZAO और OLTAS पर TIN को प्रेषित डेटा के समान होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी विशेष दिन के लिए ZAO और TIN को भेजे जा रहे हैं सभी संग्रहण डेटा चालान की संख्या और मुख्य शीर्ष दोनों के संबंध में मेल खाना चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक शाखा द्वारा, जहां संग्रहण किया गया है, प्रत्येक चालान रिकॉर्ड TIN को भेजा जाए ।"

15. ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (OLTAS) में पिछले डेटा का लेखा-जोखा और मार्च अवशिष्ट का लेखा-जोखा
(RBI/2005/413 DGBA.GAD.NO.H-5312/42.01.034/2004-05 दिनांकित 04 अप्रैल, 2005)

I) ओएलटीएएस में पिछले डेटा के लेखांकन और मार्च अवशिष्ट के लेखांकन के संबंध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर निर्देश जारी किए गए थे जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:
"ओएलटीएएस पर डेटा संग्रह की संपूर्ण रिपोर्टिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और अवशिष्ट/गुमशुदा डेटा को अपलोड करना सुनिश्चित करने हेतु, आयकर निदेशालय (सिस्टम) ने रिपोर्टिंग सिस्टम में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं:

ए) किसी विशेष नोडल स्क्रॉल तिथि/नोडल शाखा (जेडएओ)/प्रमुख शीर्ष कोड संयोजन के लिए विभिन्न फाइलों को टिन द्वारा विभिन्न तिथियों पर स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि पिछली तिथि के लिए नोडल स्क्रॉल पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तथापि अब वर्तमान नोडल स्क्रॉल तिथि के RT-01 के साथ पिछली नोडल स्क्रॉल तिथि का अतिरिक्त RT-01 रिकॉर्ड अपलोड करना संभव हो पाएगा।

बी) बैंक पहले अपलोड नहीं किए गए किसी भी पिछले डेटा को अब अपलोड कर सकते हैं और वे वर्तमान तिथि के आरटी-01 में पहले की तिथि के नोडल शाखा स्क्रॉल को मर्ज कर सकते हैं। पिछले नोडल शाखा स्क्रॉल डेटा के बहु-

अपलोड की सुविधा उसी तारीख के नोडल शाखा स्क्रॉल को पहले अपलोड किए जाने की संख्या के प्रतिबंध के बिना प्रभावी होगी।

सी) 1 अप्रैल, 2005 से 16 अप्रैल, 2005 की अवधि के दौरान TIN को भेजी जाने वाली फाइलों के लिए बैंकों को दो अलग-अलग RT-01 रिकॉर्ड भेजने होंगे। पहले RT-01 रिकॉर्ड में नोडल शाखा स्क्रॉल दिनांकित 31 मार्च, 2005 (मार्च अवशिष्ट) होगा, जबकि दूसरा RT-01 रिकॉर्ड वर्तमान तिथि (वित्तीय वर्ष 2005-06) से संबंधित होगा। हालाँकि, सामान्यतः, वहाँ प्रतिदिन प्रत्येक मुख्य शीर्ष के लिए एक सारांश अभिलेख अर्थात RT-05 होगा। वित्तीय वर्ष 2004-05 के मार्च अवशिष्ट डेटा को अपलोड करने की प्रक्रिया 16 अप्रैल, 2005 तक जारी रहेगी।

डी) पिछले वित्तीय वर्ष के सभी डेटा जो पहले अपलोड नहीं किए गए थे, उन्हें 31 मार्च, 2005 तक अपलोड किया जाना अपेक्षित था। हालाँकि, विशेष परिस्थिति जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के कुछ अनुपलब्ध डेटा को 31 मार्च, 2005/16 अप्रैल, 2005 के बाद भी अपलोड किया जाना है, बैंक उपरोक्त पैरा (ए) और (बी) में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष का कोई भी डेटा नोडल शाखा स्क्रॉल तिथि 31 मार्च, 2005 के बाद की अपलोड नहीं की जानी चाहिए।

16. ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - सरकार के खाते में सीबीडीटी संग्रह जमा करने से संबंधित लेखा प्रक्रिया।
(RBI/2005/411 (DGBA.GAD.No. H- 5287/42.01.034/2004-05) दिनांकित 01 अप्रैल, 2005)

I) भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2005 से प्रभावी रूप से T+3 दिनों (रविवार और छुट्टियों सहित) के बजाय **T+3** कार्य दिवसों में कर संग्रह जमा करने के लिए अनुमत दिनों की अधिकतम संख्या से संबंधित निर्देशों में संशोधन किया जाए। निजी क्षेत्र के एजेंसी बैंकों के मामले में, यह **T+3** दिन होगा।

II) विलंब की अवधि की गणना प्राप्तकर्ता शाखा में वसूली की प्राप्ति की तिथि (बैंक में धन की वास्तविक वसूली) से लेकर सरकारी खाते में जमा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को रिपोर्ट किए जाने तक की जाएगी। विलंबित अवधि का ब्याज शामिल राशि पर ध्यान दिए बिना बैंकों से वसूल किया जाएगा। कार्य दिवसों की गणना के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के कैलेंडर का पालन किया जाएगा।

17. प्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए बैंक शाखाओं का अधि-प्रमाणन रद्द करना
(RBI/2005/412 (DGBA.GAD.No.H 5318 /42.01.034/ 2004-05) दिनांकित 04 अप्रैल, 2005)

I) ऑनलाइन आधार पर प्रत्यक्ष कर संग्रह की रिपोर्टिंग के लिए ओल्टास की शुरुआत के साथ, दूर-दराज की शाखाओं में अपलोडिंग सुविधाओं के अभाव में कुछ अधिकृत बैंक शाखाएं आयकर विभाग के टीआईएन पर डेटा अपलोड करने में असमर्थ थीं। इसलिए, यह आवश्यक हो गया है कि कुछ ऐसी शाखाओं को अप्राधिकृत किया जाए जिनके पास कोई संग्रह नहीं है या केवल बहुत ही नगण्य संग्रह है।

II) अधिकृत बैंक शाखाओं को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआर सीसीए), सीबीडीटी, नई दिल्ली के कार्यालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि शाखाओं के प्राधिकरण के लिए एजेंसी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित मानदंडों/दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय को कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

i) आसपास के किसी अन्य अधिकृत बैंक शाखा की उपलब्धता या अन्यथा। यदि उस केंद्र में कोई अन्य अधिकृत बैंक शाखा नहीं है, तो मौजूदा शाखा को डी-लिस्ट करने के प्रस्ताव पर बल नहीं दिया जा सकता है।
ii) मौजूदा शाखा ने पिछले वर्ष (अप्रैल-मार्च) में कोई प्रत्यक्ष कर प्राप्त नहीं किया हो।
iii) अधिकृत शाखा को डीलिस्ट करने के प्रस्ताव को संबंधित बैंक के शीर्ष प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

III) आरबीआई/प्रधान सीसीए कार्यालय, सीबीडीटी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद संबंधित बैंक को इस आशय का व्यापक प्रचार करना चाहिए कि विशिष्ट शाखा एक विशिष्ट संभावित तारीख से करों को स्वीकार करना बंद कर देगी और तदनुसार इसकी सूचना भी हमें प्रदान करेगी।

18. ओएलटीएएस (ओल्टास)- कर सूचना नेटवर्क द्वारा विकसित फाइल पृथक्करण यूटिलिटी (RBI/2005/81(DGBA.GAD.No.382/42.01.034 /2005-2006) दिनांकित 26 जुलाई, 2005)

I) कुछ बैंकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि कर सूचना नेटवर्क (टिन) को कुछ गलत रिकॉर्ड के कारण बैंक के लिंक सेल से प्राप्त ओल्टास डेटा की पूरी फ़ाइल को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। बैंकों ने इच्छा व्यक्त की है कि टीआईएन को गलत अभिलेखों को अस्वीकार करते हुए सही सत्यापित अभिलेखों को स्वीकार करना चाहिए। एनएसडीएल (टिन) और बैंकों के साथ सीबीडीटी के विचार-विमर्श के आधार पर, टिन ने एक फ़ाइल पृथक्करण उपयोगिता विकसित की है।
II) हम इसके साथ फाइल पृथक्करण उपयोगिता (एफएसयू) का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश अग्रेषित कर रहे हैं जिसमें नई यूटिलिटी की कार्यक्षमता का विस्तार से वर्णन किया गया है **(अनुबंध II)**। आपसे अनुरोध है कि इस यूटिलिटी का उपयोग करने के लिए अपने लिंक सेल को सूचित करें। टिन ने इस यूटिलिटी को अपनी साइट पर कार्यान्वित किया है।

19. सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित विप्रेषण पर ब्याज की वसूली (भारत सरकार के लेनदेन) (RBI/2005/431 (DGBA.GAD.No.H-5531/42.01.011/2004-05) दिनांकित 25 अप्रैल, 2005)

I) सीएएस, आरबीआई, नागपुर में रखे गए सरकारी खाते में जमा करने के लिए सरकारी प्राप्तियों/राजस्व के संग्रह के प्रेषण की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति जिसमें सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और कुछ चुनिंदा सरकारी बैंकों के सदस्य शामिल हैं, द्वारा की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:
i) **सरकारी राजस्व के प्रेषण के लिए अनुमेय अवधि**
ए) **स्थानीय लेन-देन** - जहां भी संग्रहण शाखा और फोकल प्वाइंट शाखा एक ही शहर/एग्लोमरेशन में हैं, तो सीएएस, आरबीआई, नागपुर के साथ लेनदेन का निपटान T+3 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है (जहाँ T शाखा में धन उपलब्ध कराए जाने का दिन है)।
बी) **बाहरी लेन-देन** - जहां कहीं भी संग्रह करने वाली शाखा और फोकल प्वाइंट शाखा अलग-अलग शहर/एग्लोमरेशन में हैं, सीएएस, आरबीआई, नागपुर के साथ लेनदेन का निपटान T+5 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है (जहाँ T शाखा में धन उपलब्ध कराए जाने का दिन है)।
कार्य दिवसों की गणना के लिए, आरबीआई कैलेंडर का पालन किया जाएगा।

ii) विलंबित विप्रेषण पर ब्याज लगाना - 'विलंबित अवधि का ब्याज'
ए) संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा समय पर प्रेषित नहीं की गई कुल राशि, देय जुर्माना के साथ-साथ अलग-अलग मामलों के विवरण की जानकारी बैंक के प्रधान कार्यालय को तिमाही आधार पर अगले महीने की 15 तारीख तक दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए विलंब की अवधि की गणना प्राप्तकर्ता शाखा में वसूली की प्राप्ति तिथि (बैंक में धन की वास्तविक वसूली) से लेकर सरकार को जमा करने के लिए आरबीआई, सीएएस, नागपुर को रिपोर्ट किए जाने तक की जाएगी।
बी) बैंक दर +2% के आधार पर जुर्माना लगाने की वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी। अब उक्त प्रभारों को 'विलंबित अवधि के ब्याज' के रूप में जाना जाएगा।
सी) वित्त मंत्रालय की विभिन्न जमा योजनाओं के लिए अनुमेय प्रेषण अवधि या दंड शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा।
डी) विलंबित अवधि के ब्याज की वसूली शामिल राशि पर ध्यान दिए बिना की जाएगी।
3. दुर्गम क्षेत्रों के संबंध में या बैंकों के नियंत्रण से बाहर के मामलों के कारण अनुमेय अवधि में छूट के मामले संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से मामला-दर-मामला आधार पर लेखा महानियंत्रक कार्यालय को यथा मौजूद अनुमोदन हेतु अग्रेषित किए जाएंगे।
4. यह इस संबंध में हमारे पहले के सभी निर्देशों का अधिक्रमण करता है।
5. **संशोधित निर्देश 01.05.2005 से प्रभावी होंगे। ये निर्देश निजी क्षेत्र के बैंकों और ओल्टास के तहत लेनदेन के लिए लागू नहीं हैं।**

20. नए प्रमुख शीर्ष/चालान
"प्रतिभूति विनिमय कर"
(RBI/2005/68 DGBA. GAD. No. H-297/42.01.001/2005-06) दिनांकित 18 जुलाई, 2005 & RBI/2005/39 (DGBA.GAD.No.H-42 /42.01.034/2005-06) दिनांकित 04 जुलाई, 2005)

लेखा महानियंत्रक के कार्यालय ने "प्रतिभूति लेनदेन कर" से संबंधित संशोधन पर्ची संख्या 572 और 573 दिनांक 17 जून 2005 जारी की है। तदनुसार, पहले प्रतिभूति लेनदेन कर को आवंटित नया प्रमुख शीर्ष कोड संख्या '0025' को बदलकर '0034' कर दिया गया है। इस प्रकार नए प्रमुख शीर्ष के साथ-साथ लघु शीर्ष निम्नानुसार होंगे:

(ए) प्रमुख शीर्ष- 0034-प्रतिभूति विनिमय कर

(बी) लघु शीर्ष - 101- प्रतिभूति लेन-देन कर के अधीन संग्रहण
102- जुर्माना
103- ब्याज
901- राज्यों को सौंपी गई निवल आय का हिस्सा

(1) लघु शीर्ष 101 में निम्नलिखित उप शीर्ष होंगे:

(ए) कर संग्रहण - 00 3400 101 01

(बी) कटौती - रिफंड - 00 3400 101 02

(2) लघु शीर्ष 901 केंद्रीय खातों में "माइनस-एंट्री" और राज्य खातों में "प्लस-एंट्री" के रूप में अंकित होगा।

21. बैंकों को भारत सरकार द्वारा लागू किए गए संशोधित चालान प्रारूपों के बारे में सूचित किया गया था, जो दो नए करों यानी **अनुषंगी लाभ** कर और **बैंकिंग नकदी लेन-देन कर** को लागू करने के लिए आवश्यक थे। आयकर विभाग द्वारा लेखा के प्रमुख शीर्षों और उप-लघु शीर्षों में किए गए परिणामी परिवर्तन/युक्तिकरण निम्नवत हैं:

I. चालान सं. ITNS - 280

यह चालान दो प्रमुख शीर्षों अर्थात (ए) 0020 कंपनियों पर आयकर (निगम कर) और (बी) 0021 आयकर (कंपनियों के अलावा) के तहत भुगतान के लिए है।

अब करदाताओं के लिए लगातार निर्धारण वर्षों के अलावा अन्य आकलन वर्षों के लिए करों का भुगतान करना संभव होना चाहिए। उदाहरणतः ब्लॉक अवधि (लगातार एक से अधिक निर्धारण वर्ष) के लिए मूल्यांकन के मामले में, बैंक के सॉफ्टवेयर में मूल्यांकन वर्ष फ़ील्ड को लगातार मूल्यांकन वर्ष के अलावा अन्य अवधि के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए संशोधित किया जा सकता है, उदाहरणतः निर्धारण वर्ष 1991-97 के भुगतान के लिए 1992-99, 1993-99 आदि।

II. चालान सं. 281

यह चालान टीडीएस (स्रोत पर कर की कटौती)/टीसीएस (स्रोत पर कर की वसूली) के भुगतान के लिए है। इसमें दो प्रमुख शीर्ष हैं यथा. (ए) 0020 - कंपनी कटौतियों के लिए और (बी) 0021 - गैर-कंपनी कटौतियों के लिए। इस चालान में दो लघु शीर्ष कोड होते हैं जिन पर करदाता को टिक करना होता है (क) करदाता द्वारा देय टीडीएस/टीसीएस (लघु शीर्ष-200) (ख) नियमित मूल्यांकन पर टीडीएस/टीसीएस -हेड - 400)।

इस चालान में अब निम्नानुसार नए तीन अंकों के कोड उप-लघु शीर्ष लागू किए गए हैं:

सेक्शन	भुगतान का स्वरूप	कोड
206सी	मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक लिकर से स्रोत पर वसूली	6सीए
206सी	फॉरेस्ट लीज़ के अंतर्गत प्राप्त इमारती लकड़ी से स्रोत पर वसूली	6सीबी
206सी	फॉरेस्ट लीज़ के अतिरिक्त अन्य किसी विधि द्वारा प्राप्त इमारती लकड़ी से स्रोत पर वसूली	6सीसी
206सी	किसी अन्य वनोपज (तेन्दु पत्ते न होने पर) से स्रोत पर वसूली	6सीडी
206सी	रद्दी माल (स्क्रैप) से स्रोत पर वसूली	6सीई
206सी	पार्किंग लॉट से संबंधित ठेकेदारों अथवा लाइसेंसी अथवा लीज़ से स्रोत पर वसूली	6सीएफ़
206सी	टोल प्लाजा से संबंधित ठेकेदारों अथवा लाइसेंसी अथवा लीज़ से स्रोत पर वसूली	6सीजी
206सी	खान अथवा खनन से संबंधित ठेकेदारों / लाइसेंसी अथवा लीज़ से स्रोत पर वसूली	6सीएच
206सी	तेंदुपत्तों से स्रोत पर वसूली	6सीआई

III. चालान सं. 282

यह चालान कई करों के भुगतान के लिए है। इस चालान में लागू किए गए बदलाव निम्नानुसार हैं:

a) प्रतिभूति लेन-देन कर को पहले के प्रमुख शीर्ष 0025 के स्थान पर प्रमुख शीर्ष 0034 के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है।

b) धन-कर - प्रमुख शीर्ष 0032 को इस चालान में शामिल किया गया है। इससे पहले यह प्रमुख शीर्ष चालान नंबर 280 में था।

IV. चालान सं. 283
यह एक नया चालान लागू किया गया है। यह (ए) **बैंकिंग नकदी लेन-देन कर – प्रमुख शीर्ष 0036 और (बी) अनुषंगी हितलाभ कर** – प्रमुख शीर्ष 0026 के भुगतान के लिए है। इन दोनों श्रेणियों के करों के लिए मान्य लघु शीर्ष हैं - (i) स्व मूल्यांकन कर, लघु शीर्ष - 300 और (ii) नियमित मूल्यांकन कर पर कर – लघु शीर्ष 400 और (iii) अग्रिम कर, लघु शीर्ष -100

बैंकों से अनुरोध है कि वे कृपया ओल्टास सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन की व्यवस्था करें और उपरोक्त परिवर्तनों को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने वाली सभी शाखाओं के ध्यान में लाएँ ताकि शाखाएं तत्काल प्रभाव से इन करों का भुगतान स्वीकार कर सकें।

22. बैंकिंग नकदी लेन-देन कर (बीसीटीटी)
(RBI/2005/43(DGBA.GAD.No.H-76/42.01.001/2005-06) दिनांकित 05 जुलाई, 2005)

I) सरकारी विभागों द्वारा नकद निकासी पर बैंकिंग नकदी लेनदेन कर लगाने के संबंध में बैंकों को अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया। उसी का उद्धरण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:
"भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2005 के माध्यम से 0.1% की एक नई लेवी शुरू की है, जिसे बैंकिंग नकदी लेनदेन कर (बीसीटीटी) कहा जाता है, जो 1 जून, 2005 से प्रभावी है। बीसीटीटी कर योग्य बैंकिंग लेनदेन के मूल्य पर लगाया जाता है जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
ए) किसी भी अनुसूचित बैंक के बचत बैंक खाते के अलावा किसी अन्य खाते से किसी एक दिन में (किसी भी तरीके से) निर्दिष्ट सीमा से अधिक नकदी की निकासी।
बी) एक या एक से अधिक सावधि जमाओं के नकदीकरण, चाहे वह परिपक्वता पर हो या अन्यथा, पर किसी भी अनुसूचित बैंक से किसी एक दिन में एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक नकदी की प्राप्ति।

II) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय या प्रतिष्ठान द्वारा, अन्य के साथ-साथ, बीसीटीटी भी देय होता है। तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालय या प्रतिष्ठान अपने उपयोग के लिए उनके द्वारा निकाली गई नकदी की राशि पर बीसीटीटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि उनके द्वारा एक दिन में एक ही खाते से निकाली गई राशि 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक है।
III) इस संबंध में, भारत सरकार ने पाया है कि एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा आहरित चेक राशि से बीसीटीटी घटाना सही नहीं है। अत: बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रथा को तत्काल बंद करें।
IV) बैंकों को सरकारी विभागों से कर की वसूली करने में सक्षम बनाने के लिए, बैंकों को भुगतान स्क्रॉल के माध्यम से सरकारी खाते से सीधे डेबिट करने की सलाह दी जाती है। भुगतान स्क्रॉल में बीसीटीटी को प्रासंगिक चेक राशि के ठीक नीचे दिखाया जा सकता है, जहां स्पष्ट शब्दों में "बैंकिंग नकदी लेनदेन कर" उद्धृत हो।
V) जहां तक भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर और सीबीडीटी के जेडएओ के साथ संग्रह की रिपोर्टिंग और निपटान का संबंध है, बैंक "प्रत्यक्ष कर" के संबंध में इस उद्देश्य के लिए पहले से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे।"

बैंकिंग नकदी लेन-देन कर (बीसीटीटी) से संबंधित
सूचना प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की बाध्यता
(RBI/2005/85 (DGBA. GAD. No. H- 414/42.01.001/2005-06) dated July 30, 2005)

V) सरकारी अधिसूचना सं. 156/2005, दिनांकित 30 मई, 2005 के नियम संख्या 5 के अनुसार, अनुसूचित बैंकों को महीने के दौरान कर योग्य बैंकिंग लेनदेन की संख्या और एकत्र किए गए बैंकिंग नकदी लेनदेन कर का विवरण संबंधित महीने के अगले माह की समाप्ति अथवा उससे पहले कंप्यूटर मीडिया पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
VI) तदनुसार, बैंक नियमों में निर्धारित तरीके और माध्यम के अनुसार जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं:
आयकर महानिदेशालय (जांच)
ई-2, एआरए सेंटर, तीसरी मंजिल, झंडेवाला एक्सटेंशन
नई दिल्ली 110 055

बैंक उपरोक्त अधिसूचना और प्रपत्र निम्नलिखित वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं:
www.taxmann.com.

23. एजेंसी बैंक – केंद्र / राज्य सरकारों के व्यवसाय संचालन करने वाली शाखाओं का निरीक्षण
(RBI/2005/363(DGBA.GAD.No. H-4213-4246/44.01.001(A)/2004) दिनांकित 15 फरवरी, 2005)

I) भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए लेन-देन की यथार्थता को सत्यापित करने के साथ-साथ सरकारी व्यवसाय के उचित संचालन के बारे में शाखाओं का मार्गदर्शन करने और सरकार, भुगतानकर्ता, सरकारी योजनाओं के निवेशकर्ताओं और सरकारी पेंशनभोगियों को अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक सरकारी व्यवसाय में लगी एजेंसी बैंक शाखाओं का आवधिक निरीक्षण कर रहा है।
II) बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत सरकारी कारोबार करने वाली शाखाओं का निरीक्षण 30 जून 2005 तक प्रायोगिक आधार पर करें:
(i) फोकल प्वाइंट शाखाएं/लिंक शाखाएं/नोडल शाखाएं
(ii) वाणिज्यिक केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों आदि में मुख्य शाखाएँ।
(iii) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड/विभागीय मंत्रालयों के खातों के लेन-देन, पेंशन भुगतान के साथ-साथ राहत बांड/बचत बांड जारी करने/सेवाएं देने की बड़ी मात्रा का संव्यवहार करने वाली शाखाएं।
III) शाखाओं की लेखापरीक्षा करते समय, सीबीडीटी/सीबीईसी बकाया, राज्य कर/शुल्क का समय से संग्रहण एवं प्रेषण, केंद्र सरकार के खातों के विभागीकरण संबंधी कार्य, पीपीएफ/एसडीएस योजनाओं, सरकारी पेंशन का भुगतान, राहत/बचत बांड जारी करने/सेवाएं देने के क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एजेंसी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि उनकी लेखापरीक्षा टीम इन मुद्दों पर भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम निर्देशों से परिचित हो सकती है और अपनी रिपोर्ट में इसे उचित रूप में शामिल कर सकती है। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली अपनी सभी शाखाओं की लेखापरीक्षा 30 जून, 2005 तक निष्पादित कर लें। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति लेखापरीक्षा के एक महीने के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक जिसके क्षेत्राधिकार में शाखा आती है, को भेजी जानी आवश्यक है।

24. 1/1/2005 से चालान पर स्थायी खाता संख्या (पैन) /
कर कटौती खाता संख्या (टैन) का अनिवार्य उद्धरण
(RBI 2004/300 (DGBA.GAD.NO.H-2532-65/42.01.034/2004-05) दिनांकित 14 दिसंबर, 2004 & RBI/2005/398(DGBA.GAD.NO.H-5132/42.01.034/2004-05) दिनांकित 19 मार्च, 2005)
I) करदाताओं को सही और शीघ्र क्रेडिट सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), भारत सरकार ने **1 जनवरी 2005** से चालानों पर पैन/टैन के अनिवार्य उद्धरण के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंक शाखाओं द्वारा करों का कोई भुगतान तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि चालान आईटीएनएस 280 और 282 पर करदाताओं का पैन या चालान आईटीएनएस 281 पर कटौतीकर्ता का टीएएन, जैसा भी मामला हो, उद्धृत नहीं किया जाता है। शाखाएं एक नोटिस प्रदर्शित कर सकती हैं, जिसमें विशेष रूप से बताया गया हो कि शाखाओं में '**1/1/2005 से चालान पर पैन/टैन का उल्लेख अनिवार्य है**' और उस तारीख से बिना पैन/टैन के चालान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पैन/टैन प्राप्त करने की प्रक्रिया आयकर विभाग की वेबसाइट (http://www.incometaxindia.gov.in or http://www.tinnsdl.com) पर उपलब्ध है। शाखाएँ कर जमा करने से पहले पैन/टैन प्राप्त करने के लिए निर्धारितियों का मार्गदर्शन कर सकती हैं। पूर्व-मुद्रित पैन/टैन संख्या के साथ चालान प्रपत्र संख्या 280 और 281 डाउनलोड करने की सुविधा का भी आपकी नामित शाखाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा सकता है।
II) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर, 2003 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि पैन के लिए आवेदन किया गया हो और लेकिन आबंटित नहीं हुआ हो, तो बैंक आयकर अधिनियम के तहत अग्रिम कर और करों के भुगतान को स्वीकार करेंगे। तदनुसार, आयकर निदेशालय (सिस्टम), नई दिल्ली ने सलाह दी है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश **राजस्थान में स्थित** सभी अधिकृत बैंक शाखाओं पर बाध्यकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के किसी भी मामले से बचने की दृष्टि से, आयकर निदेशालय (सिस्टम) के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि यदि करदाता साक्ष्य प्रदान करता है कि पैन/टैन के लिए आवेदन किया गया है लेकिन आबंटित नहीं हुआ है, तो राजस्थान में स्थित सभी अधिकृत बैंक शाखाओं को चालान में उद्धृत पैन/टीएएन पर जोर दिए बिना आयकर अधिनियम के तहत कर और अन्य कर का अग्रिम भुगतान स्वीकार करना चाहिए।

25. आयकर रिफंड आदेशों के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना (ITROs)
(RBI/2004/83 (DGBA.GAD.No.1009/42.01.018/2003-04) दिनांकित 28 फरवरी, 2004 &

RBI/2004/125 (DGBA.GAD.No. 979/42.01.018/2003-04) दिनांकित 27 मार्च, 2004)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने परिपत्र निदेश एफ.सं.385/25/97- आईटी(बी) दिनांकित 6 नवंबर, 2003 के माध्यम से रु.9999/- तक के रिफंड के संबंध में भुगतानकर्ता बैंकों को एडवाइस नोट अग्रेषित करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। संशोधित प्रक्रिया के तहत रु.9999/- तक के रिफंड के लिए एडवाइस नोट आयकर विभाग द्वारा सीधे आईटीआरओ के साथ निर्धारितियों को भेजे जाएंगे।
परिणामस्वरूप निर्धारिती को संग्रह हेतु दोनों इन्स्ट्रुमेंट यथा. आईटीआरओ के साथ-साथ एडवाइस नोट अपने बैंक को जमा करना अपेक्षित होता है।
'एडवाइस के अभाव में अदाकर्ता बैंक द्वारा आईटीआरओ की वापसी से बचने के लिए, बैंक ग्राहकों से आईटीआरओ स्वीकार करने वाली अपनी सभी शाखाओं को आईटीआरओ के साथ-साथ 'एडवाइस' की प्रस्तुति पर जोर देने का निर्देश दे सकते हैं।

26. आयकर की वापसी हेतु ईसीएस (क्रेडिट) को लागू किया जाना
(RBI/2004/90 (DGBA.GAD.No. H-767/42.01.034/2003-04) दिनांकित 09 मार्च, 2004)

आईटीआरओ के संबंध में बड़े पैमाने पर बैंकों के साथ-साथ जनता के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक कर वापसी हेतु एक वैकल्पिक प्रणाली के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहा है। तदनुसार हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर रिफंड के लिए ईसीएस क्रेडिट लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है।
यह निर्णय लिया गया है कि सरकार द्वारा करों की वापसी के लिए ईसीएस मोड अपनाए जाने के फलस्वरूप
बैंकों को आईटीआरओ संबंधी ईसीएस शुल्क माफ कर देना चाहिए।

अनुबंध-I

ऑन लाइन कर लेखा प्रणाली (ओल्टास) के संबंध में लेखा कार्यविधि

1. प्राप्तकर्ता शाखाओं पर कर स्वीकार करने संबंधी कार्यविधि

1.1 कोई भी करदाता नगद रूप में अथवा खाते में सीधे नामे लिख कर या जहाँ भुगतान किया जाता है उस केन्द्र पर उसी बैंक में अथवा अन्य बैंक / शाखा पर चेक / ड्राफ्ट आहरित करते हुए किसी प्राधिकृत बैंक की प्राधिकृत शाखा पर प्रत्यक्ष कर का भुगतान कर सकता है। किसी प्राधिकृत बैंक पर आउटस्टेशन चेक / ड्राफ्ट द्वारा अथवा प्राधिकृत बैंक / शाखा को प्रेषण के इलेक्ट्रानिक साधन के माध्यम से भी कर का भुगतान किया जा सकता है। प्रत्येक भुगतान के लिए एक निर्धारित फार्मेट में चालान होना चाहिए। उक्त चालान फार्मेट एकल प्रति चालान होता है जिसमें सबसे ऊपर मुख्य चालान होता है एवं चालान के नीचे के हिस्से में करदाता की प्रतिपर्ण (काउंटरफॉइल) होती है। (नमूना संलग्नक 'A' में)

1.2 प्राप्तकर्ता बैंक शाखा के काउंटर पर

प्राप्तकर्ता शाखा के प्राप्तकर्ता लिपिक/ टेलर को भुगतान स्वीकार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करनी होगी-

क. चालान का मुख्य भाग और करदाता की काउंटर फॉइल वाला भाग ठीक से भरा गया है अथवा नहीं और राशि तथा खाते का प्रमुख शीर्ष जिसमें उक्त राशि को हिसाब में डालना है / जमा करना है, उसमें ठीक से लिखा गया है अथवा नहीं।

ख. स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा कर कटौती लेखा संख्या (टैन) का विवरण, करदाता का नाम और पता, निर्धारण वर्ष और भुगतान का स्वरूप तथा प्रकार ठीक से भरे गये हैं अथवा नहीं। उक्त राशि शब्दों में और अंकों में सही-सही लिखी जानी चाहिए।

ग. चालान में स्थायी खाता संख्या (पैन) कर कटौती लेखा संख्या (टैन) निर्धारित स्थान पर उद्धृत किये गये हैं अथवा नहीं। आयकर अधिनियम की धारा 139 ए (5) (बी) के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या उद्धृत किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 203ए के अंतर्गत कर कटौती लेखा संख्या उद्धृत किया जाना अनिवार्य है। करदाता द्वारा उद्धृत की गई संख्या को प्रमाणीकृत किया जाना चाहिए (इस बात की जांच की जाए कि वह वैध पैन / टैन के स्वरूप के अनुरूप है या नहीं) और कर अदायगी प्राप्त करने के लिए नामित बैंक यह सुनिश्चित करें कि भुगतान के लिए चालान तभी स्वीकार किये जाएं जब चालान में वैध स्थायी खाता संख्या उद्धृत की गई हो। किन्तु, जहाँ करदाता यह बताता है कि उसने पैन अथवा टैन के लिए आवेदन कर रखा है किन्तु अभी तक उसे वह आबंटित नहीं हुआ है तो बैंक द्वारा कर भुगतान चालान इस शर्त पर स्वीकार कर लिये जाएं कि करदाता चालान में पैन / टैन की आवेदन संख्या लिख दे। ऐसे मामलों में इस बात को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि **चालान में करदाता का पूरा पता लिखा गया है।**

1.3 चालान की संवीक्षा करने के बाद तथा इस बात की संतुष्टि कर लेने पर कि प्रस्तुत नकद राशि, चेक अथवा ड्राफट की राशि चालान में दर्शायी गई राशि से मेल खाती है, और यह भी कि उक्त चेक उत्तर दिनांकित / गतावधि (पोस्ट डेटेड / स्टेल) नहीं है, शाखा का प्राप्तकर्ता टेलर अथवा काउंटर लिपिक प्रस्तुतकर्ता को एक पेपर टोकन जारी करेगा ताकि उसके आधार पर उसे काउंटर फॉइल रसीद दी जा सके। अन्य बैंक की शाखाओं पर आहरित चेक अथवा ड्राफट के साथ जमा कराये गये चालानों के मामले में चेक अथवा ड्राफट की राशि की वसूली के बाद ही काउंटर फॉइल रसीद जारी की जा सकेगी और इसलिए पेपर टोकन पर वह तारीख अंकित होनी चाहिए जिस पर काउंटर फॉइल रसीद उपलब्ध होगी।

1.3.1 नकद राशि के साथ प्रस्तुत चालान

नकद राशि के साथ प्रस्तुत किया गया चालान यदि संवीक्षा के बाद ठीक पाया जाता है तो उस पर 'नकद प्राप्त' का स्टाम्प लगा दिया जायगा। बैंक चालान के मुख्य भाग पर और करदाता की काउन्टर फॉइल पर वह स्टाम्प लगाएगा जिसमें बैंक और शाखा का नाम शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय), राशि जमा करने की तारीख (दिन माह वर्ष) और चालान की अनन्य क्रम संख्या (5 अंकीय) का उल्लेख होगा। उक्त स्टाम्प की छाप चालान के मुख्य भाग और करदाता की काउन्टर फॉइल दोनों पर लगाई जाएगी। इस बात की सावधानी बरती जानी सुनिश्चित की जाए कि पावती स्टाम्प की छाप स्पष्ट और सुपाठ्य हो।

शाखा का प्राधिकृत अधिकारी करदाता की काऊंटर फॉइल पर पूरे हस्ताक्षर करेगा और राशि प्राप्त करने की मुख्य प्रति पर आद्यक्षर करेगा। करदाता की काऊंटर फॉइल पर प्राप्त राशि को शब्दों और संख्या में दर्शाया जाना चाहिए। करदाता की काऊंटर फॉइल की रसीद कर भरने वाले को वापस दे दी जाएगी और रसीद स्क्रॉल में स्क्रॉल के लिए मुख्य प्रति दे दी जाएगी।

1.3.2 चेक / ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत चालान

चेक / ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत चालान पर, लिखत प्रस्तुत करने की तारीख तथा उसकी वसूली की तारीख दर्शाने के लिए 'डबल डेट स्टाम्प' लगाई जाएगी। यह संभव है कि कुछ शाखाओं में काउन्टर पर चालान के प्रस्तुत करने के साथ ही उन पर आवक तारीख स्टाम्प लगाने की प्रथा अपनाई जा रही हो। उस मामले में डबल डेट स्टाम्प लगाना आवश्यक नहीं है। किन्तु, यह सुनिश्चित किया जायगा कि आवक तारीख स्टाम्प, चालान की मुख्य प्रति और करदाता की काउंटर फाइल दोनों पर अनिवार्य रूप से लगाई जाए।

जांचकर्ता अधिकारी प्रारंभ में यह सुनिश्चित करेगा कि चेक / ड्राफ्ट की राशि और प्रस्तुतकर्ता
द्वारा चालान में रिकार्ड की गई राशि के बीच कोई अंतर नहीं है। उसके बाद चेक / ड्राफ्ट वसूली के लिए भेज दिया जायेगा। बाद में, चेक / ड्राफ्ट की वसूली के बाद, **डबल डेट स्टाम्प पर अथवा चालान में दिये गये स्थान पर, जैसा भी मामला हो, वसूली की तारीख दर्शाई जायगी।** बैंक सिंगल कॉपी चालान की मुख्य और करदाता काउंटर-फॉइल दोनों पर भी बैंक और शाखा का नाम, शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय), राशि जमा कराने की तारीख (दिन माह वर्ष) तथा चालान की यूनीक क्रम संख्या (5 अंकीय) दर्शाने वाली स्टाम्प लगाएगा। राशि प्राप्त करने के एवज में चालान पर हस्ताक्षर करने के बाद, टोकन लौटाये जाने के बदले में करदाता की काउंटर-फॉइल प्रस्तुतकर्ता को लौटा दी जाएगी।

1.3.3 चालानों पर क्रमसंख्या लगाना

प्रत्येक दिन के लिए सभी चालानों (नकद द्वारा और चेक द्वारा भुगतान किये गये) के लिए चल क्रम संख्या (रनिंग सिरियल नंबर) दिये जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर एक दिन पर जारी प्रत्येक चालान पर क्रम संख्या बिल्कुल अलग हो ताकि बाद में उसे खोजा जा सके। **इसलिए बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नकद राशि के साथ जमा कराए गये चालानों पर दी गई क्रम संख्या उस दिन वसूली किये गये चेकों वाले चालानों को दी गई क्रम संख्या से ओवरलेप न होने पाए।**

नकद राशि और उसी शाखा पर भुगतान योग्य चेक / ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत चालानों की काउन्टर फॉइल काउन्टर पर यथाविधि रसीदीकृत करके प्रस्तुतकर्ता को लौटा दी जाएगी। उसी केन्द्र पर स्थित उसी बैंक की अलग शाखा पर अथवा किसी अन्य बैंक की शाखा पर आहरित चेक / ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत चालानों के मामले में करदाता की रसीदीकृत काउंटर-फॉइल किसी दिन के समाशोधन के भुगतान न किये गये लिखतों के लौटाने संबंधी 'स्थानीय बैंकर समाशोधन गृह' के नियमों के अंतर्गत निर्धारित दिन के बाद वाले कार्य दिवस तक अवश्य लौटा दी जाएगी।

1.4.1 चेक / ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत चालानों के मामले में, चेक की राशि की वसूली की तारीख भी चालान के मुख्य भाग पर स्टाम्प द्वारा लगाई जाएगी । उसे, बाद में प्राप्ति स्क्रोल के साथ क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (जेड ए ओ) को भेजने के लिए बैंक में रखा जाएगा । यद्यपि आयकर अधिनियम के अनुसार चेक / डिमांड ड्राफ्ट की प्रस्तुति की तारीख कर की अदायगी की तारीख मानी जाएगी किन्तु चेक /डिमांड ड्राफ्ट की राशि की वसूली के बाद ही उन्हें सूचीबद्ध (स्क्रोल्ड) किया जाएगा।

1.4.2 रसीदीकृत चालान पर दोहरी तारीख

चालान के जिस मुख्य भाग के माध्यम से चेक / ड्राफ्ट जमा कराया जाता है, उस पर निम्नानुसार दो तारीखें होंगी :

i) प्रस्तुति की तारीख: दिन माह वर्ष (रबर स्टाम्प पावती में)
ii) राशि वसूल होने की तारीख: दिन माह वर्ष (चालान में बताए गए स्थान पर) नकद राशि की प्रस्तुति के मामले में 'प्रस्तुति की तारीख' और 'वसूली की तारीख' एक ही होगी।

1.4.3 वसूलीकर्ता बैंक **किसी अन्य फॉर्मेट में रसीद जारी नहीं करेगा।**

2. **वसूलीकर्ता शाखा द्वारा स्क्रोल तैयार करना**

2.1 प्रत्येक दिन बैंक की शाखा के काउंटर पर प्राप्त उन सभी चालानों को चल क्रम संख्या दी जाएगी जिन पर नकद भुगतान किये गये हैं अथवा उस तारीख को चेक / ड्राफ्ट की वसूली की गई है।

2.2 करदाता द्वारा बैंक के काउंटर पर चालान जमा करते समय चालान के सभी क्षेत्र जैसे नाम और पैन, क्रम संख्या, जमा की तारीख और शाखा का बी एस आर कोड भरा जाना आवश्यक है। जिस चालान के लिए आंकड़े भरे जाते हैं और आगे भेजे जाते हैं उसके क्षेत्रों के आंकड़ों का स्वरूप आयकर विभाग द्वारा बैंकों को सूचित किये गये अनुसार होगा। प्राप्ति और भुगतान स्क्रोल में करदाता का नाम और उसकी स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने चाहिए।

2.3 ग्राहकों के लिए बैंकिंग का समय समाप्त होने पर बैंक की शाखा को उन सभी चालानों की पहचान कर लेनी चाहिए जिन पर उस दिन नकद भुगतान प्राप्त हो गया है अथवा उस दिन चेक / ड्राफ्ट की राशि वसूल हो गई है। चूंकि इन सभी चालानों का विवरण पहले से ही बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में है, उक्त शाखा को उन सभी चालान आंकड़ों की एक फाइल बनानी चाहिए जिनके लिए उस दिन भुगतान प्राप्त हो गया है और उस फाइल को अपनी नोडल शाखा के पास भेज देना चाहिए ताकि वह उसे बैंक के लिंक सेल के माध्यम से आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क (टिन) को भेज सके। **किन्तु, गैर-कंप्यूटरीकृत / गैर-नेटवर्क वाली प्राधिकृत शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंकड़े उसकी समीपवर्ती कंप्यूटरीकृत/नेटवर्क वाली शाखा से नोडल शाखा को भेजे जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी चालान छूट न जाए जिसके लिए उस दिन भुगतान प्राप्त हो गया है। एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए कर के प्रत्येक प्रकार से संबंधित (प्रमुख शीर्ष) उन सभी रिकार्डो को एक चल स्क्रोल क्रम संख्या दी जाएगी जो किसी दिन विशेष पर भेजे जाते हैं।** रिकार्डो का संपूर्ण आंकड़ा स्वरूप तथा फाइल, जो बैंक द्वारा आयकर विभाग को भेजी जानी है, आयकर विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में होंगे। **वसूली कर्ता शाखा किसी भी स्थिति में, आयकर विभाग को फाइल भेजे जाने के बाद अपने स्तर पर ऑन लाइन आंकड़ों में हेर-फेर नहीं करेगी।**

2.4 समाशोधन विवरणियों की पहचान

वसूलीकर्ता शाखा को उन सभी चालानों की भी पहचान करनी चाहिए जिनके साथ दिये गये लिखत बिना भुगतान के लौटा दिये गये थे। ऐसे लिखत संबंधित चालानों के साथ बैंक में अलग रखे जाने चाहिए ताकि उनके संबंध में समुचित रूप से आगे की कार्रवाई की जा सके।

2.5 वसूलीकर्ता शाखा अपने कंप्यूटर से आयकर विभाग को भेजे गये चालान आंकड़ों से दैनिक आधार पर टैक्स के प्रकार (प्रमुख शीर्ष-वार) पर आधारित फॉर्म ..... में और फार्म ..... में सारांश के अलग प्रिंट आउट्स तैयार करेगी। एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान विस्तारित वही सीरियल नंबर, जो संबंधित दिन के लिए प्रेषित स्क्रॉल को दिया गया था, संबंधित कर के प्रकार (प्रमुख शीर्ष) के उपयुक्त संक्षिप्ताक्षर द्वारा पूर्वनिर्धारित स्क्रॉल पर मुद्रित किया जाएगा। वसूलीकर्ता शाखा, आयकर विभाग को पहले भेजे गये आंकड़ों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन किये गये आंकड़ों से कोई प्रिंटेड स्क्रोल अथवा सारांश किसी भी मामले में तैयार नहीं करेगी। इस प्रकार शाखा द्वारा तैयार किये गये स्क्रोल, बैंक द्वारा आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क को ऑनलाइन से भेजे गये आंकड़ों से आरसीसी द्वारा तैयार किये गये स्क्रोलों से पूरी तरह से मेल खाने चाहिए। उसके बाद, शाखा, कंप्यूटर मुद्रित सारांश तथा प्राप्ति स्क्रोलों का एक सेट तैयार करेगी और प्रत्येक स्क्रोल के साथ भौतिक रूप में चालान संलग्न करेगी। **उक्त चालानों को उसी क्रम में रखा जाएगा जिस क्रम में स्क्रोलों में उनकी प्रविष्टि की गई है**। अगले कार्य दिवस के प्रारंभ में प्राप्तकर्ता शाखा उन्हें आगे **क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (जेडएओ) को भेजने के लिए** नोडल शाखा को भेजेगी।

2.6 त्रुटि रिकार्डों का प्रेषण

करदाता द्वारा किये गये भुगतान की राशि अथवा भुगतान के प्रमुख शीर्ष की रिपोर्टिंग में वसूलीकर्ता बैंक शाखा द्वारा हुई किसी त्रुटि के मामले में, उक्त बैंक एक त्रुटि रिकार्ड के माध्यम से कर सूचना नेटवर्क (टिन) को ऑनलाइन पर सुधारी गई सूचना भेजेगा। उसका फॉर्मेट आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार होगा। उक्त राशि तथा लेखा शीर्ष में किये गये त्रुटि सुधार नोडल शाखा के जरिए भेजे जाने वाले "त्रुटि स्क्रोल" के माध्यम से क्षेत्रीय लेखा कार्यालय को भी

रिपोर्ट किये जाने चाहिए। आयकर विभाग करदाता द्वारा कर के रूप में उसी राशि को स्वीकार करेगा जो बैंक द्वारा कर भुगतान की राशि के सूचना नेटवर्क (टिन) को रिपोर्ट की जाएगी।

3. आयकर वापसी आदेशों (आईटीआरओएस) / ईसीएस के भुगतान की कार्यविधि

3.1 प्रत्यक्ष कर वापसी का कार्य किसी प्राधिकृत बैंक, सामान्यतया भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके अनुषंगी बैंकों की आईटीडी केन्द्र / किसी जिले में स्थित केवल एक शाखा को सौंपा जाता है। वापसी आदेश किसी करदाता द्वारा उसी शाखा में उसके खाते में अंतरण हेतु शाखा को प्रस्तुत किये जाएंगे। विकल्प के तौर पर, वह समाशोधन के जरिए प्राप्त हो सकेगा। आयकर विभाग के जो अधिकारी वापसी आदेशों के आहरण के लिए प्राधिकृत हैं, उनके नमूना हस्ताक्षर आयकर प्राधिकारियों द्वारा अग्रिम रूप से संबंधित अदाकर्ता शाखाओं को भेजे जाएंगे। उक्त नमूना हस्ताक्षर आयकर विभाग के एक ऐसे अधिकारी द्वारा यथाविधि प्रमाणित किये जाएंगे जिसके नमूना हस्ताक्षर पहले से ही उस शाखा के रिकार्ड पर हैं। प्राधिकृत अधिकारी में परिवर्तन होने पर संबंधित शाखा को तुरंत सूचित किया जाएगा। कार्यमुक्त हुआ अधिकारी उसके स्थान पर आये हुए अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करेगा। भुगतान के लिए वापसी आदेश पारित करते समय पारित करने वाले अधिकारी को महालेखा नियंत्रक तथा साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन करने, परक्राम्य लिखतों के भुगतान के संबंध में बैंकों द्वारा सामान्य तौर पर किये जानेवाले एहतियाती उपायों के अलावा पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आयकर वापसी आदेश (आईटीआरओ) के पीछे 'दावेदार के हस्ताक्षर' के लिए दिये गये स्थान पर आदाता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे। धन वापसी सूचनाओं से संबंधित कार्यविधि वर्तमान स्थिति के अनुसार ही जारी रहेगी किन्तु प्रदत्त आईटीआरओ तथा मुद्रित भुगतान स्क्रोल बैंक द्वारा आगे से आयकर विभाग को नहीं भेजे जाएंगे।

3.2 प्राप्तियों के मामले में, भुगतानकर्ता शाखा द्वारा धनवापसियों को कर के उस प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करना होगा जिसके अंतर्गत धन वापसी की जाती है। आईटीआरओ के भुगतान के संबंध में अलग से प्रमुख शीर्ष वार भुगतान रिकार्ड रखे जाएंगे।

3.3 भारतीय रिज़र्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन योजना के अंतर्गत (ईसीएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर धन वापसी करदाता के बैंक खाते में सीधे भी जमा करायी जा सकती है। इस सुविधा का लाभ उठाने की दृष्टि से करदाता अपनी आय विवरणी में अपने बैंक खाते के प्रकार (बचत अथवा चालू) खाता संख्या और बैंक शाखा कोड (9 अंक) का उल्लेख करते हुए एक अधिदेश देता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता की विवरणियां प्रोसेस करने के उपरांत धनवापसी का निर्णय लेने पर किसी आरसीसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी करदाताओं की धन वापसी (जो ईसीएस के माध्यम से जमा कराने के लिए चाही गई है) आरसीसी में कंप्यूटर प्रणाली पर अपने आप समेकित हो जाती है। ये सभी धनवापसी आंकड़े डाउनलोड किये जाते हैं, इंक्रीप्ट किये जाते हैं तथा मैग्नेटिक मीडिया (फ्लॉपी या रीराइटेबल सीडी) पर कॉपी किये जाते हैं अथवा इलेक्ट्रोनिक रूप में ट्रांसमिट किये जाते हैं। यह आरसीसी द्वारा स्थानीय आंचलिक लेखा कार्यालय को तथा आरबीआई तथा एसबीआई की धन वापसी जारी करने वाली शाखा को भेजा जाता है। फाइल में आंकड़ों का वैधीकरण करने के उपरांत बैंक धन वापसी की कुल राशि को आयकर विभाग के खाते के नामे डालता है और उसके बाद उन बैंकों की विभिन्न स्थानीय शाखाओं, जहाँ विभाग द्वारा सूचित की गई राशि को करदाता के खातों में जमा करने की दृष्टि से करदाताओं के खाते हैं, को समाशोधन के माध्यम से अनुदेश जारी करता है। विभाग के खाते में यह एकल नामे डेबिट उस दिन पर आयकर विभाग को बैंक द्वारा प्रेषित भुगतान (धन वापसी) आंकड़ों में दिखाई देता है। खाता बंद होने आदि के कारणों से यदि इनमें से कोई राशि करदाताओं के खातों में जमा नहीं हो पाती है तो आयकर विभाग के खाते में ईसीएस रिटर्न के लिए एक अलग माइनस डेबिट एंट्री द्वारा बाद में हिसाब में लिया जाता है और उस दिन विशेष के लिए प्रेषित भुगतान (धनवापसी) आंकड़ों के माध्यम से आयकर विभाग को सूचित कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (फ्लॉपी अथवा रीराइटेबल सीडी आदि) में उपलब्ध फाइलें कंप्यूटर प्रिंटेड भुगतान (धन वापसी) स्क्रोल के साथ आंचलिक लेखा कार्यालय को लौटा दिये जाते हैं जब कि वही आंकड़े बैंक द्वारा आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क (टिन) के माध्यम से ऑनलाइन रूप में आयकर विभाग को भेज दिये जाते हैं।

4. भुगतान (धन वापसी) स्क्रोल तैयार करना

4.1 भुगतान स्क्रोल तैयार करने की कार्य विधि वही होगी जो कार्यविधि प्राप्ति स्क्रोल पर लागू होती है।

4.2 उक्त स्क्रोल सेट ठीक वैसे ही बनाये जाएंगे, जैसे कि प्राप्तियों से संबंधित सेट बनाये जाते हैं, फर्क केवल इतना होगा कि चालानों के बजाय, स्क्रोलों के साथ प्रदत्त धन वापसी ऑर्डर्स होंगे। प्रदत्त धन वापसी वाउचरों के संबंध में समस्त

आंकड़े आयकर विभाग के टिन को भेजे जाने के लिए भुगतानकर्ता बैंक द्वारा लिंक सेल को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जब कि प्रदत्त धन वापसी आर्डर के साथ भौतिक स्क्रोल नोडल शाखा के माध्यम से आंचलिक लेखा कार्यालय को भेजे जाएंगे। यदि नोडल शाखा स्थानीय रूप से अवस्थित नहीं है तो उपर्युक्त सभी दस्तावेज (प्राप्ति / भुगतान स्क्रोल इत्यादि) अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजे जाने चाहिए।

4.3 ईसीएस धन वापसी के मामले में, उक्त आंकड़े लिंक सेल को ऑनलाइन भेजे जाएंगे और उसके बाद आयकर विभाग को भेजे जाएंगे जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मौजूद वही ईसीएस ब्योरा भुगतानकर्ता बैंक द्वारा नोडल शाखा के माध्यम से स्थानीय आंचलिक लेखा कार्यालय (जेडएओ) को भेजा जाएगा।

5. करदाता द्वारा काउंटरफॉइल गुम हो जाना

जमाकर्ताओं द्वारा रसीदीकृत चालान कांउटरफॉइल गुम हो जाने की स्थिति में बैंक शाखाएं, निर्धारितियों की ओर से जमा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त लिखित अनुरोध के प्राप्त होने पर, प्रत्येक मामले में आवेदक की वास्तविकता के बारे में संतुष्टि कर लेने के पश्चात् उनके रिकार्ड के आधार पर उन्हें प्रमाणपत्र जारी कर सकती हैं और अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अधीन उनसे नाम मात्र का शुल्क वसूल कर सकती हैं। उक्त प्रमाणपत्र में चालान के बारे में पूरा ब्योरा होना चाहिए, जैसे-राशि, बैंक का नाम और शाखा, बीएसआर कोड तथा चेक / नकद राशि जमा कराने की तारीख, प्रमुख शीर्ष, चालान क्रम संख्या चेक की राशि वसूल होने की तारीख / नकद राशि जमा कराने की तारीख और वसूलीकर्ता शाखा की स्क्रोल संख्या तथा वह तारीख जिस पर पहले कर भुगतान संबंधी ब्योरा भेजा गया था ।

6. नोडल शाखा के कार्य

6.1 नोडल शाखा त्वरित एवं सटीक प्रेषण, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी प्राप्तकर्ता शाखाओं द्वारा प्रतिदिन उसे रिपोर्ट की गयी वसूलियों/ धन वापसी (अपनी स्वयं की प्राप्तियों (सहित) की अकाउंटिंग के लिए उत्तरदायी होगी। वह अपने से संबद्ध सभी प्राप्तकर्ता शाखाओं की वसूलियों (अपनी स्वयं की वसूलियों सहित) को आरबीआई, सीएएस, नागपुर में मौजूद सरकारी लेखा को तत्परता के साथ भेजने के लिए भी जिम्मेवार होगी। वह आंचलिक लेखा कार्यालय के साथ आंकड़ों के समाधान के लिए भी जिम्मेवार होगी ।

6.2 वसूलीकर्ता शाखाओं से किसी दिन विशेष को प्राप्त हुए सभी चालानों के संबंध में ऑनलाइन आंकड़े प्राप्त होने पर नोडल शाखा दैनिक आधार पर निम्नांकित कार्रवाई करेगी:
(ए) वह चालान के आंकड़ों को अपनी कंप्यूटर प्रणाली पर मिलाएगी तथा उस दिन भेजे जाने वाले सभी चालान रिकार्डों को एक कॉमन नोडल शाखा स्क्रोल नंबर तथा तारीख देते हुए आंकड़ों को आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क को आगे भेजने हेतु उसी दिन आयकर विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अपने लिंक सेल को भेज देगी।

(बी) वह कंप्यूटर आंकड़ों के आधार पर फ्लॉपी में अथवा अन्य मीडिया में (आंचलिक लेखा कार्यालय द्वारा यथा सूचित) सारांश की एक प्रति तथा मुख्य स्क्रोल भी तैयार करेगी एवं उन्हें अगले कार्य दिवस पर आंचलिक लेखा कार्यालय को भेज देगी।

(सी) वसूलीकर्ता शाखा से कंप्यूटर जनरेटेड शाखा स्क्रोल की हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर, नोडल शाखा इस बात की अभिपुष्टि (वेलीडेट) करेगी कि ये कंप्यूटर जनरेटेड शाखा स्क्रोल पहले वसूलीकर्ता शाखाओं द्वारा भेजे गये आंकड़ों से पूरी तरह मेल खाते हैं। वह, प्रमुख शीर्षवार सभी स्क्रोलों को एक साथ जोड़ते हुए प्रमुख स्क्रोल के साथ अपने स्वयं के आंकड़ों सहित सभी शाखाओं से प्राप्त कंप्यूटर प्रिंटेड शाखा स्क्रोलों (चालानों सहित) को समेकित करेगी। वह प्रमुख शीर्षवार मुख्य स्क्रोलों तथा सारांश (समरी) का एक कंप्यूटर प्रिंट आउट भी तैयार करेगी। तब वह इन्हें (चालानों के साथ) दैनिक आधार पर संबंधित आंचलिक लेखा कार्यालय के पास भेजेगी।

(डी) ऊपर (c) में की गई चर्चानुसार चालान रहित उसी विधि से तैयार किया गया स्क्रोल का दूसरा सेट नोडल शाखा अपने रिकार्ड के लिए रखेगी।

(ई) नोडल शाखा उसी प्रकार से भुगतानों (अर्थात् धन वापसी) के लिए भी कंप्यूटर प्रिंटेड सेपरेट मैन स्क्रोल्स तैयार करेगी तथा उन्हें प्रदत्त आईटीआरओ के साथ आंचलिक लेखा कार्यालय के पास भेजेगी। वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ईसीएस धन वापसी ब्योरा भी स्थानीय आंचलिक लेखा कार्यालय के पास भेजेगी। उक्त धन वापसी आंकड़े (पेपर

आईटीआर तथा ईसीएस रिफंड के संबंध में) नोडल शाखा द्वारा ऑनलाईन रूप में लिंक सेल के माध्यम से कर सूचना नेटवर्क को भेजे जाएंगे। वह प्रदत्त आईटीआरओ की सूचना / सूचनाएं अपने पास रखेगी।

(एफ) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम पंद्रह दिनों के दौरान, नोडल शाखाएं स्क्रोलों के दो अलग- अलग सेट तैयार करेगी और भेजेगी – पहला अप्रैल लेनदेनों से संबंधित एक सामान्य स्क्रोल और दूसरा मार्च लेनदेनों वाला (जिसका अर्थ है, प्राप्तकर्ता शाखाओं द्वारा 31 मार्च तक प्रस्तुत और समाशोधित तथा 31 मार्च के बाद किन्तु 15 अप्रैल से पूर्व नोडल शाखा को भेजे गये चेक/ड्राफ्ट/ आईटीआरओ के स्क्रोल) स्क्रोल। ये नोडल शाखा द्वारा मार्च अवशिष्ट लेखा के रूप में सूचीबद्ध (स्क्रोल्ड) किये जाएंगे। नोडल शाखाएं इन लेनदेनों को मार्च लेनदेनों के रूप में शामिल करने के लिए नागपुर स्थित लिंक सेल को सूचित करेगी। नोडल शाखाएं प्रमुख रूप से लेखा का माह दर्शाते हुए अप्रैल लेनदेनों के लिए दूसरा स्क्रोल भेजेंगी। 31 मार्च को अथवा इससे पूर्व प्रस्तुत और 1 अप्रैल को अथवा उसके बाद वसूलीकृत कोई भी चेक / ड्राफ्ट अप्रैल लेनदेन के भाग के रूप में माना जाएगा। किन्तु इस अनुदेश को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे सभी चालानों के आंकड़े उसी दिन ऑनलाइन माध्यम से आयकर विभाग को भेजे जाने चाहिए, जिस दिन भुगतान प्राप्त हो चुका है, अपवाद रूप में ही अलग मार्च अवशिष्ट स्क्रोल की आवश्यकता होनी चाहिए।
(जी) नोडल शाखा अपने द्वारा हिसाब में ली गई समेकित राशि दैनिक आधार पर लिंक सेल को भेज देगी।

7. कर वसूली की राशि सरकारी खाते में जमा करना

7.1 नोडल शाखा अपने नियंत्रण में आने वाली सभी प्राप्तकर्ता शाखाओं के लिए एक एकत्रीकरण केंद्र (पूलिंग सेंटर) का काम करती है और वह लेनदेन (चालान और स्क्रोल जैसे सभी संबंधित दस्तावेजों सहित) आंचलिक लेखा कार्यालय को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी है। वह आयकर विभाग को ऑनलाइन आंकड़े भेजने के लिए नागपुर स्थित अपने लिंक सेल को इन सभी लेनदेनों के चालान आंकड़े भेजने के लिए भी उत्तरदायी है। इसके साथ ही उसकी यह भी जिम्मेवारी है कि वह वसूल की गई राशि भारतीय रिज़र्व बैंक (केंद्रीय लेखा अनुभाग अथवा सीएएस), नागपुर में जमा कराए।

7.2 नोडल शाखा एक दैनिक मेमो तैयार करेगी और उसे दैनिक आधार पर नागपुर स्थित अपने लिंक सेल (एसबीआई के मामले में जीएडी, मुंबई) को भेजेगी जो उसके आधार पर आरबीआई, सीएएस नागपुर के साथ दैनिक निपटान करेगा।

7.3 नागपुर स्थित बैंकों का लिंक सेल आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क को प्रेषित करने के लिए नोडल शाखा से प्राप्त चालान आंकड़ों को समेकित करेगा और वह नोडल शाखाओं से प्राप्त होने वाली दैनिक प्राप्तियों की निगरानी तथा दैनिक मेमो की सटीकता (एक्यूरेसी) की भी जांच करेगा उसके बाद लिंक सेल दैनिक मेमों को सीएएस, आरबीआई, नागपुर को भेज देगा।

7.4 बैंकों की नोडल शाखाएं नागपुर स्थित उनके लिंक सेल के साथ उनके द्वारा निपटान की गई राशि का आंचलिक लेखा कार्यालयों के साथ मासिक समाधान करेंगी। आंचलिक लेखा कार्यालय अपने रिकार्ड के आधार पर नोडल शाखाओं से प्राप्त विवरणों का प्रमुख शीर्षवार और नोडल बैंकवार दोनों ही आधार पर सत्यापन करेंगे। कोई विसंगति होने के मामले में, नोडल शाखा तुरंत त्रुटि सुधार करेगी और नागपुर स्थित अपने लिंक सेल के माध्यम से सीबीडीटी के खाते में पहले से ही जमा की गई / नामे डाली गई राशि में हुए अंतर को समायोजित करेगी तथा उसकी सूचना आंचलिक लेखा कार्यालय को भी देगी ।

7.5 आंचलिक लेखा कार्यालयों तथा लिंक सेल के साथ लेनदेनों के अंतिम समाधान के उद्देश्य से सीएएस, आरबीआई नागपुर एक मासिक विवरण तैयार करेगा और उसे बैंकों के आंचलिक लेखा कार्यालयों तथा लिंक सेल को भेजेगा। आरबीआई, सीएएस, नागपुर अनुवर्ती महीने की 20 तारीख तक सीसीए, सीबीडीटी को एक मासिक विश्लेषण प्रेषित करेगा जिसमें प्रमुख शीर्षवार प्राप्तियां/ धन वापसी आदि दर्शाए जाएंगे।

8. कर वसूलियों के विलंबित अंतरण के संबंध में ब्याज का भुगतान

8.1 प्राधिकृत बैंकों की नामित शाखाओं द्वारा की गई कर वसूली की राशि तत्परता के साथ दैनिक आधार पर सरकारी लेखा में जमा की जानी चाहिए। सीएएस, नागपुर के सरकारी लेखा में कर वसूली की राशि जमा करने के लिए अनुमत दिनों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं.		सभी बैंकों के लिए दिवसों की संख्या
i.	स्थानीय शाखाओं द्वारा संग्रहण (यानी उन जगहों पर जहां नोडल ब्रांच व जेडएओ हैं स्थित है और इसका समूह है	टी + 3 दिवस (रविवार एवं अवकाश दिवस सहित)
ii.	आउट स्टेशन शाखाओं द्वारा संग्रहण	टी + 3 दिवस ((रविवार एवं अवकाश दिवस सहित)

8.2 उपर्युक्त निर्धारित अवधि के बाद यदि कोई विलंब होती है, तो बैंक को विलंबित अवधि के लिए ब्याज देना होगा। ऊपर उल्लेखित विलंबित विप्रेषण के लिए ब्याज जेडएओ द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा चूककर्ता बैंकों से वसूल किया जाएगा। वसूल की जाने वाली ब्याज दर प्रचलित बैंक दर (जिसे आम तौर पर 1 मई और 1 नवंबर को द्विवार्षिक रूप से अधिसूचित किया जाता है) प्लस (+) 2% या समय-समय पर सीजीए के परामर्श से रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित राशि होगी।

9. "मार्च" लेनदेनों की अकाउंटिंग

9.1 रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई मार्च लेनदेनों की अकाउंटिंग में अपनायी जाने वाली कार्यविधि के संबंध में, प्रत्यक्ष करों की वसूली करने वाले सभी बैंकों को प्रति वर्ष फरवरी महीने में विशेष अनुदेश जारी करेगा।

9.2 नोडल बैंक, पिछले वित्त वर्ष के मार्च से संबंधित स्क्रोल चालू वर्ष के अप्रैल महीने में प्राप्त करेंगे। उसी वित्तीय वर्ष में मार्च की सम्पूर्ण वसूलियों के लेखाकरण की दृष्टि से नोडल बैंकों को अप्रैल महीने के दौरान निम्नलिखित कार्यविधि अपनानी होगी:

नोडल बैंकों को अलग-अलग स्क्रोलों के दो सेट तैयार करने होंगे – पहला मार्च की अवशिष्ट वसूलियों (करदाताओं के खाते से 31 मार्च से पहले किया गया भुगतान) से संबंधित होगा और दूसरा अप्रैल के प्रथम 15 दिनों के दौरान हुए लेनदेनों से संबन्धित होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता शाखाओं द्वारा 31 मार्च तक प्राप्त समस्त कर वसूलियों को **"मार्च अवशिष्ट लेनदेनों"** के रूप में हिसाब में ले लिया गया और उन्हें वित्तीय वर्ष में आनेवाले अप्रैल के लेनदनों के साथ शामिल नहीं करना चाहिए। 1 से 15 अप्रैल तक तैयार किये गये मार्च लेनदेनों के लिए मुख्य स्क्रोलों को "**मार्च अवशिष्ट"** के रूप में अलग से चिह्नित किया जाना चाहिए।

9.3 इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए कि 31 मार्च को अथवा उससे पहले प्राप्त हुए समस्त चेक / वसूल हुई राशि को चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित लेनदेनों के रूप में माना जाए तथा उसे "**मार्च अथवा मार्च अवशिष्ट लेनदेन**" के शीर्ष के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशियों के रूप में हिसाब में लिया जाना चाहिए।

9.4 नोडल बैंकों को नागपुर स्थित अपने लिंक सेल को रिपोर्टिंग करते समय आंकड़ों के दो सेट भेजने चाहिए जिन पर अलग-अलग स्पष्ट रूप से 15 अप्रैल तक के **मार्च अवशिष्ट** और **अप्रैल लेनदेन** दर्शाया जाए।

9.5 दिनांक वार मासिक विवरण भी दो सेटों में तैयार किये जाने चाहिए, पहला मार्च अवशिष्ट लेन देनों से संबंधित तथा दूसरा अप्रैल लेनदेनों से संबंधित।

10. प्रति वर्ष मार्च महीने के दौरान विशेष व्यवस्था

शाखाओं को पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित कार्यविधि का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष करों के लिए की गई वसूलियां नोडल शाखा / लिंकसेल के माध्यम से सरकारी लेखा में जमा करने के लिए तत्परता के साथ भेज दी जाए। किन्तु, प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे पखवाड़े के दौरान, जहाँ कहीं प्राप्तकर्ता शाखाएं और नोडल शाखा स्थानीय रूप से अवस्थित हैं, प्राप्तकर्ता शाखाओं द्वारा एक विशेष मेसेंजर प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। प्रति वर्ष जून, सितंबर और दिसंबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान दैनिक आधार पर आंचलिक लेखा कार्यालय को वसूली आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास किये जाएं ताकि वे आंकड़े निगरानी, अनुमान आदि के लिए आगे सरकार को भेजे जा सकें।

11. निगरानी समिति - आवधिक बैठकें आयोजित करना

प्राधिकृत बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष करों की वसूली तथा अकाउंटिंग के लिए परिशोधित योजना को निर्बाध रूप से चलाने के लिए प्रत्येक आंचलिक लेखा कार्यालय केंद्र पर निगरानी समितियां बनाई जाएंगी जिनमें नोडल बैंकों / बैंकों के स्थानीय प्राधिकरणों, आंचलिक लेखा कार्यालयों और आयकर विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। उक्त समिति छमाही आधार पर बैठक करेगी और प्रत्यक्ष कर संबंधी कार्य जैसे अकाउंटिंग, स्क्रोलिंग, रिपोर्टिंग, विप्रेषण तथा समाधान आदि पर चर्चा करेगी एवं समस्याओं को अपने स्तर पर हल करने के लिए प्रयास करेगी। इसके अलावा, वार्षिक आधार पर एक विशेष निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें सीबीडीटी, आरबीआई, आयकर विभाग तथा बैंकों के अति वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे तथा इस क्षेत्र में बैंकों, आंचलिक लेखा कार्यालयों तथा आयकर विभाग के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का निवारण करेंगे। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की बैठकों के कार्यवृत्त पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

12. जनता की शिकायतों का निवारण

सरकारी विभागों अथवा जनता को सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं पर जनता की शिकायतों का निपटान करने के लिए प्रत्येक प्राधिकृत बैंक में समय-समय पर यथा निर्धारित एक प्रभावी कार्यविधि होनी चाहिए। यदि कोई बैंक कर भुगतान की रिपोर्टिंग में अथवा कर भुगतान के प्रमुख शीर्ष में कोई त्रुटि देखता है, चाहे वह स्वयं प्रेरित हो अथवा करदाता द्वारा उसके ध्यान में लायी जाती है, तो उक्त बैंक तुरंत टिन को त्रुटि रिकार्ड (जैसा कि पहले पैराग्राफ 2.6 और 7.4 में वर्णित है) प्रेषित करेगा। यह आदेशात्मक है क्योंकि बैंक द्वारा कर सूचना नेटवर्क (टिन) को जानकारी भेजे जाने पर ही आयकर विभाग किसी करदाता के खाते में राशि जमा करेगा।

अनुबंध-II

ओल्टास
फाइल पृथक्करण उपयोगिता (एफ एस यू) के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल

परिचय
बैंकों द्वारा एफएसयू का उपयोग अवैध इनपुट फाइल और तदनुरूपी त्रुटि फाइल से एक वैध फाइल जेनेरेट करने के लिए किया जाएगा। इस उपयोगकर्ता मैनुअल से बैंक उपयोगकर्ताओं को इस फाइल पृथक्करण उपयोगिता में उपलब्ध कराई गई कार्यात्मकताओं को बेहतर समझने में मदद मिलेगी।

अभिप्रेत प्रयोक्ता:
यह मैनुअल ओल्टास में भाग लेने वाले बैंकों के लिंक सेल के लिए है।

उपयोग में लायी गयी परिपाटी
प्रत्येक कार्य के बाद फील्ड डिस्क्रिप्श्न टेबल में प्रत्येक फिल्ड या बटन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

1. विहंगावलोकन
किसी यूटिलिटी में एफएसयू जो त्रुटिरहित रिकॉर्ड को हटाकर एक वैध ओल्टास फाइल को बनाने में मदद करता है। यदि आपके पास कोई ओल्टास फाइल है और उसके अनुरूप त्रुटिपूर्ण फाइल है, तो यह यूटिलिटी त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड से छुटकारा पाने और एक नई सही फाइल बनाने में अपकी सहायता करती है। यह त्रुटिपूर्ण फाइल को पढ़कर अस्वीकृत रिकॉर्ड को मिटा देता है और ऑटो-जेनरेट किए गए आरटी04 रिकॉर्ड से केवल वैध रिकॉर्ड वाली एक नयी फाइल जेनेरेट करता है। यह सही फ़ाइल ओल्टास साइट पर अपलोड की जा सकती है। सभी अस्वीकृत रिकॉर्ड अलग कर दिए जाते हैं और आपके संदर्भ के लिए एक अलग फाइल में रखे जाते हैं।

2. कार्यात्मकता
जब आप SPECIAL_FVU.exe फाइल खोलते हैं तो निम्नानुसार यूटिलिटी दिखाई देगी:-

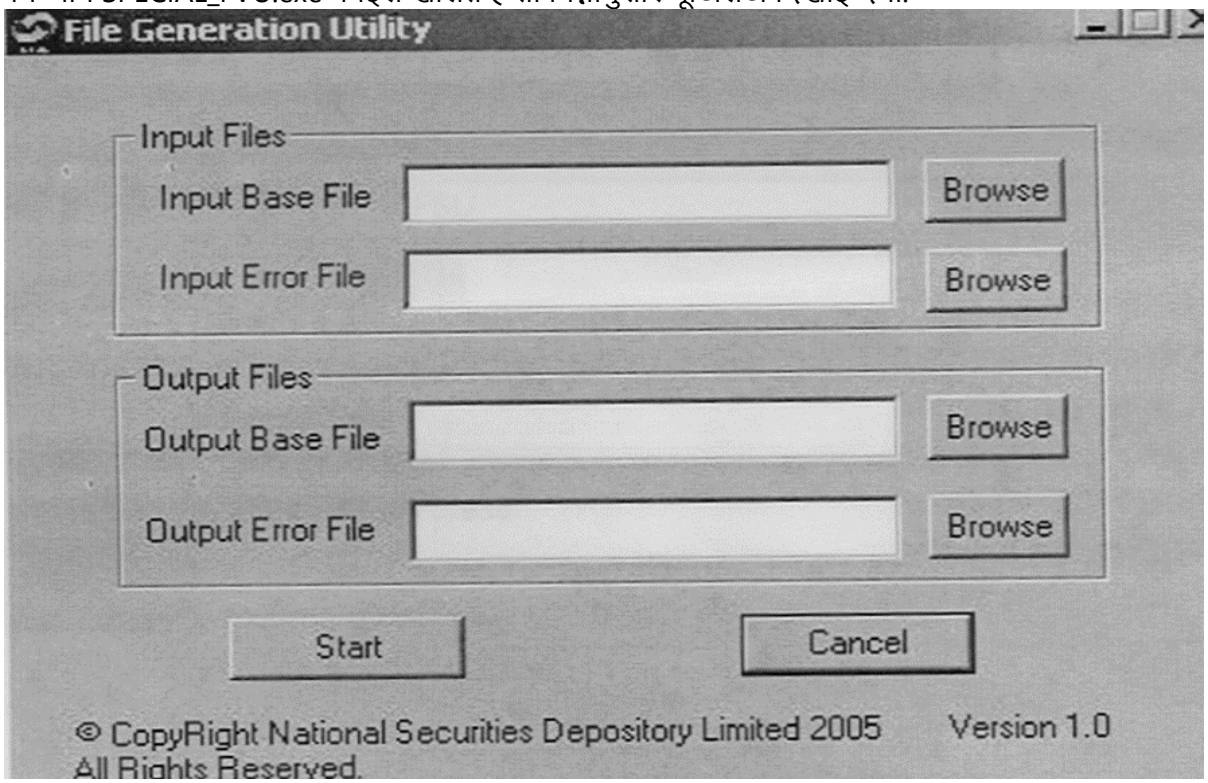

चित्र-1

उक्त युटिलिटी में सबसे ऊपर यूटिलिटी का नाम, यूटिलिटी को कम करने और बंद करने के लिए बटन, चार टेक्सड फील्ड और "ब्राउज़" नाम के चार बटन, एक स्टार्ट बटन और एक कैंसल बटन होता है। कॉपीराइट मैसेज और संस्करण संख्या भी देखा जा सकता है।

प्रयोक्ता को नीचे वर्णित सभी चार टेक्सड फील्ड में वैध इनपुट दर्ज करना आवश्यक होगा।

ए. इनपुट बेस फाइल:

बेस फाइल का पूरा फाइल पाथ देना। यह बेस फाइल वह फाइल है जो कुछ त्रुटियों के कारण अस्वीकृत हो गई है। ब्राउज़ बटन पर क्लिक करके फाइल का चयन कर सकते हैं। आपको नीचे दर्शाये गए अनुसार एक 'ओपन' बॉक्स (चित्र 2) दिखेगी। अपेक्षित फोल्डर को ब्राउज़ करें, फ़ाइल का चयन करें और फिर ओपन को क्लिक करें।
इनपुट फाइल नाम केवल "ddmmyyfv.bnk" प्रारूप में होना चाहिए।

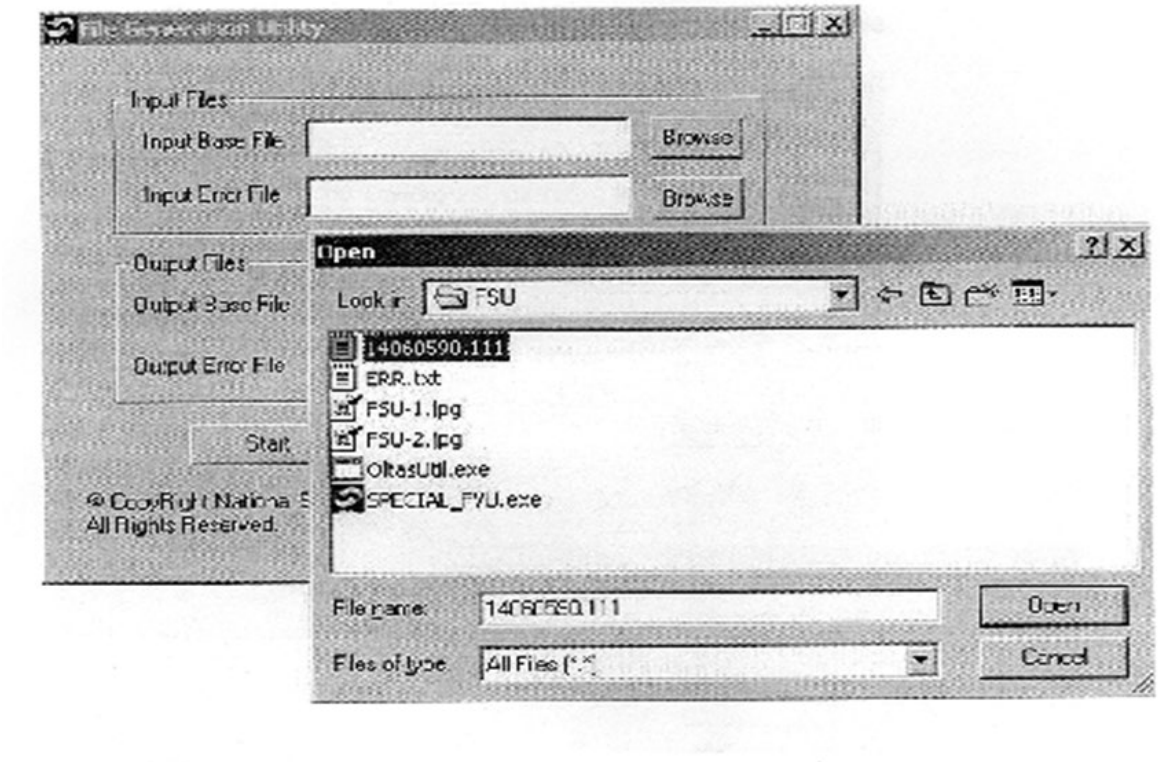

चित्र 2

फाइल एक्सटेंशन में वैध बैंक कोड होना चाहिए।

बी. इनपुट त्रुटि फाइल:

यह त्रुटि इनपुट बेस फाइल के लिए है (जिसे चरण-1 में सेलेक्ट किया गया था)। उक्त त्रुटि फाइल को ओल्टास साइट से डाउनलोड करके सेव किया जा सकता है। आप ओल्टास लिंक सेल सुविधा द्वारा जनरेट की गई त्रुटि फाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको त्रुटि फाइल का पूरा पाथ देने की आवश्यकता है। ऊपर बताए गए अनुसार दाईं ओर ब्राउज़ बटन का उपयोग किया जा सकता है। त्रुटि फाइल में उस फाइल का नाम होता है जिसके लिए त्रुटियाँ पाई जाती हैं। यह नाम इनपुट बेस फाइल से मेल खाना चाहिए। उपयोगकर्ता को यह फाइल नहीं बदलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि सही त्रुटि फाइल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित संदेश दिखाई देगा और यूटिलिटी बंद हो जाएगी।

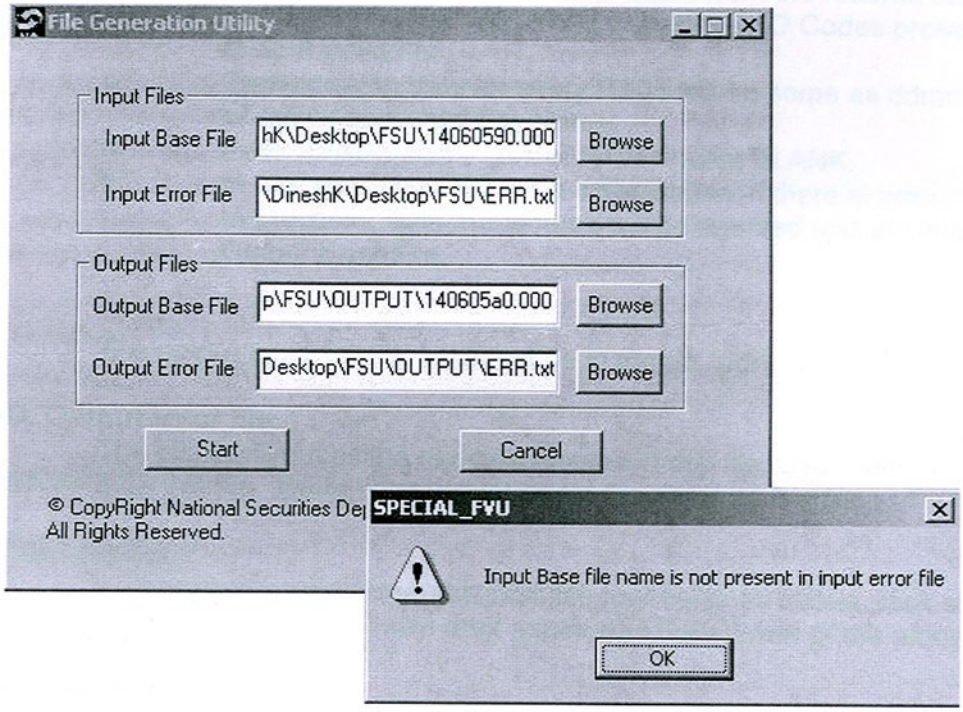

(चित्र 3)

इनपुट त्रुटि फाइल के नाम के लिए कोई वैधीकरण नहीं है।

टिप्पणी: दो इनपुट फाइलों में से यदि किसी भी एक फाइल के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो आउटपुट वैध फाइल सही रूप से जनरेट नहीं होगी। इसके अलावा एफवीयू से जनरेट की गई अथवा ओल्टास साइट से प्राप्त की गई त्रुटि फाइल भी स्वीकार्य है। अन्य कोई प्रारूप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे गलत परिणाम दे सकते हैं।

सी. आउटपुट बेस फाइल:

यह आउटपुट वैध फाइल है जिसे ओल्टास साइट पर अपलोड किया जा सकता है या एफवीयू के माध्यम से वेलीडेट किया जा सकता है। फाइल का पूरा पाथ विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। यदि लोकेशन अलग है तो फाइल का नाम वही हो सकता है जो इनपुट बेस फाइल का नाम है अन्यथा वह इनपुट बेस फाइल पर ओवरराइट हो जाएगा। अपेक्षित फ़ोल्डर की ब्राउज़िंग के लिए ब्राउज़ बटन का इस्तेमाल करें और इसके बास अपेक्षित फाइल का नाम इंटर करें। इनपुट बेस फाइल और आउटपुट बेस फाइल का विस्तार मेल खाना चाहिए।

ए. आरटी 04 में फील्ड MAJ_HD_CD, TOT_NO_OF_RFND, TOT_NO_OF_CHLN, TOT_NO_ERR_RFND, TOT_NO_ERR_CHLN, RFND_TOT_AMT, CHLN_TOT_AMT का परिकलन आउटपुट वेलिड फाइल में मौजूद रिकॉर्ड के आंकड़ों से किया जाता है।

बी. No_Of_Nodal फील्ड का परिकलन आउटपुट वेलिड फाइल में मौजूद रिकॉर्ड के आंकड़ों से किया जाएगा यानी आउटपुट वेलिड फाइल में मौजूद अलग-अलग जेडएओ कोड से की जाएगी।

सी. प्रत्येक आरटी04 के लिए प्रेषित करने की तारीख आउटपुट वेलिड फाइल के भाग दिन महीना वर्ष (ddmmyy) के समान ही होगी।

डी. आरटी04 का फील्ड RFND_DEBIT_DT को रिक्त रखा जाता है।

ई. आरटी08 R / N संयोजन में, यदि किसी भी रिकॉर्ड में त्रुटि है, तो दोनों ही रिकॉर्ड अस्वीकार कर दिए जाएंगे और उन्हें आउटपुट त्रुटि फाइल में रख दिया जाएगा।

आउटपुट बेस फाइल का नाम "ddmmyyfv.bnk" प्रारूप में होना चाहिए।

डी. आउटपुट त्रुटि फाइल:

उक्त युटिलिटी सभी अस्वीकृत रिकॉर्ड को इस फाइल में डाल देगी। उपयोगकर्ता को इस फाइल के लिए पूरा पाठ देना होगा। इस फाइल के नाम का कोई वेलीडेशन नहीं है।

स्टार्ट बटन:
उपरोक्त सभी चार फील्ड में वेलिड फाइल नाम दर्ज करने के बाद, स्टार्ट बटन को क्लिक करें। उक्त प्रक्रिया के सफलता पूर्वक पूरा होने पर एक संदेश प्रदर्शित होगा।

केन्सल बटन:
युटिलिटी को बंद करने के लिए केंसल बटन का इस्तेमाल करें।

मास्टर परिपत्र - सूची

क्रम सं.	संदर्भ सं.	विषय
1	डीजीबीए. जीएडी सं. एच 684/42.01.001/2003-04 दिनांक 09 जनवरी 2004	पिंक बुक 'प्रत्यक्ष करों की लेखांकन प्रणाली' में संशोधन
2	आरबीआई/2004/135 डीजीबीए जीएडी सं. 1142/42.01.001/2003-04 दिनांक 2 अप्रैल 2004	बैंक शाखाओं पर करों की वसूली संबंधी कार्यविधि - ग्राहक सेवा
3	आरबीआई/2004/131 डीजीबीए. जीएडी. सं. 1008/42.01.034/2003-04 दिनांक 1 अप्रैल 2004	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) लागू किया जाना - चालानों की प्रतियों पर रबर स्टाम्प लगाना
4	आरबीआई/2004/145 डीजीबीए. जीएडी. सं. एच-1068/42.01.034/2003-04 दिनांक 16 अप्रैल 2004	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) के लिए लेखा कार्यविधि
5	आरबीआई/2004/184 डीजीबीए. जीएडी. स.एच-1114/42.01.034/ 2003-04 दिनांक 29 अप्रैल 2004	1 जून 2004 से ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली लागू किया जाना
6	आरबीआई/2004/75 डीजीबीए. जीएडी.सं.एच.69/42.01.034/2004-05 दिनांक 28 जुलाई 2004	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) - एनएसडीएल को आंकड़ों का प्रेषण- वैधीकरण जांच
7	आरबीआई/2004/326 डीजीबीए. जीएडी सं. 3278-3311/42.01.034/2004-05 दिनांक 31 दिसंबर 2004	वसूली के लिए सब एजेंसी व्यवस्था का समापन - ओल्टास
8	आरबीआई/2005/382 डीजीबीए. जीएडी सं. एच.4736/42.01.034/2004-05 दिनांक 01 मार्च 2005	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास)- निधियों का निपटान - भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर को रिपोर्ट करना
9	आरबीआई/2005/406 डीजीबीए. जीएडी सं.5236/42.01.034/2004-05 दिनांक 29 मार्च 2005	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास)- निधियों का निपटान - भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर को रिपोर्ट करना
10	आरबीआई/2005/466 डीजीबीए. जीएडी सं. एच-5801/42.01.034/2004-05 दिनांक 13 मई 2005	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) - निधियों का निपटान
11	आरबीआई/213/2004 डीजीबीए. जीएडी. स. एच-1169/42.01.034/2003-04 दिनांक 22 मई 2004	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) से संबंधित लेखा कार्यविधि - स्पष्टीकरण
12	आरबीआई/2004/181 डीजीबीए, जीएडी सं. एच.235/42.01.034/2004-05 दिनांक 15 सितंबर 2004	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास)-| शाखाओं की सहभागिता

13	आरबीआई/2004/165 डीजीबीए. जीएडी सं.एच.170/42.01.034/2003-04 दिनांक 4 सितंबर 2004	आंकड़ों के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दे - बैंक द्वारा ओल्टास आंकड़े भरना
14	आरबीआई/2005/413 डीजीबीए जीएडी सं. एच. 5312/42.01.034/2004-05 दिनांक 4 अप्रैल 2005	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) पिछले डेटा का लेखा और मार्च अवशिष्ट का लेखा
15	आरबीआई/2005/411 डीजीबीए जीएडी. स. एच. 5287/42.01.034/2004 -05 दिनांक 1 अप्रैल 2005	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) - सीबीडीटी वसूलियों को सरकारी खाते में जमा करने संबंधी लेखा क्रियाविधि
16	आरबीआई/2005/412 डीजीबीए जीएडी सं. एच. 5318/42.01.034/2004-05 दिनांक 4 अप्रैल 2005	बैंक शाखाओं को प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए अनधिकृत करना
17	आरबीआई/2005/81 डीजीबीए. जीएडी सं. 382/42.01.034/2005-06 दिनांक 26 जुलाई 2005	ओल्टास - कर सूचना नेटवर्क (टी आइ एन) द्वारा विकसित फाइल पृथक्करण उपयोगिता
18	आरबीआई/2005/431 डीजीबीए जीएडी सं. एच. 5318/42.01.034/2004-05 दिनांक 4 अप्रैल 2005	सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित प्रेषण पर ब्याज की वसूली (भारत सरकार के लेनदेन)
19	आरबीआई/2005/68 डीजीबीए जीएडी सं. एच-297/42.01.034/2005-06 दिनांक 18 जुलाई 2005	लेखांकन के लिए नया प्रमुख शीर्ष "प्रतिभूति लेनदेन कर"
20	आरबीआई/2005/39 डीजीबीए जीएडी सं. एच- 42/42.01.034/2005-06 दिनांक 4 जुलाई 2005	वित्त अधिनियम 2005 - प्रमुख शीर्ष और चालानों में परिवर्तन - ओल्टास
21	आरबीआई/2005/43 डीजीबीए. जीएडी सं. एच 76/42.01.034/2005-06 दिनांक 05 जुलाई 2005	सरकारी विभागों द्वारा नकद निकासी पर बैंककारी नकदी लेनदेन कर लगाना
22	आरबीआई/2005/85 डीजीबीए. जीएडी सं. एच- 414/42.01.001/2005-06 दिनांक 30 जुलाई 2005	बैंककारी नकदी लेनदेन कर (BCTT) के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की अनुसूचित बैंकों की बाध्यता
23	आरबीआई/2005/363 डीजीबीए. जीएडी सं. एच-4213- 4246/44.01.001(A)/2004-05 दिनांक 15 फरवरी 2005	एजेंसी बैंक - केंद्र/राज्य सरकार का कारोबार करने वाली शाखाओं का निरीक्षण
24	आरबीआई/2004/300 डीजीबीए जीएडी सं.एच.2532- 65/42.01.034/2004-05 दिनांक 14 दिसंबर 2004	1/1/2005 से चालानों पर स्थायी खाता सख्या (पीएएन) / कर कटौती लेखा सं. (टीएएन) को अनिवार्य रूप से उद्धृत करना
25	डीजीबीए जीएडी सं.एच. 5132/42.01.034/2004-05 दिनांक 19 मार्च	1/1/2005 से चालानों पर स्थायी खाता सख्या (पीएएन) / कर कटौती लेखा सं. (टीएएन) को अनिवार्य रूप से

	2005	उद्धृत करना
26	आरबीआई/2004/83 डीजीबीए. जीएडी. सं. 1009/42.01.0128/2003-04 दिनांक 28 फरवरी 2004	आयकर वापसी आदेश जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना (आईटीआरओ)
27	आरबीआई/2004/125 डीजीबीए. जीएडी. सं. 979/42.01.0128/2003-04 दिनांक 27 मार्च 2004	आयकर वापसी आदेश जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना (आईटीआरओ)
28	आरबीआई/2004/90 डीजीबीए. जीएडी. सं. एच-767/42.01.034/2003-04 दिनांक 09 मार्च 2004	आयकर की वापसी के लिए ईसीएस (क्रेडिट) लागू करना